सोमवार,
१० अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

सोमवार, १० अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फ़्रांसीसी वायुयानों का क्रय

*३१२. **श्री ए० के० गोपालन**: (क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिये काफी संख्या में आधुनिक जैट लड़ाकू वायुयान क्रय करने के लिये एक फ्रांसीसी फर्म से अन्तिम समझौता किया है ?

(ख) यदि ऐसा हुआ है, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

(ग) फ्रांसीसी लड़ाकू वायुयानों के मूल्य की तुलना में अन्य देशों के लड़ाकू वायुयानों के क्या मूल्य हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) से (ग) तक. भारत सरकार ने फ़्रांस की किसी फर्म से नहीं, अपितु फ़्रांसीसी सरकार से वायुयान क्रय करने का समझौता किया है जिस की ओर माननीय सदस्य ने निदश किया है। इस अवस्था में समझौते की शर्तें या लागत आदि को विस्तारपूर्वक बताना लोक हित में न होगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि वायुयानों का चुनाव उन की उड़ान की बड़ी गहरी छानबीन तथा उनकी उपयोगिता आदि की हमारे टेस्ट वायुयान चालकों द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् किया गया था और यह चुनाव जो किया गया है इन परिस्थितियों में सर्वोत्तम है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सौदे का अन्तिम निर्णय करने में सरकार ने न केवल वायूयानों के वर्तमान मूल्यों पर ही विचार किया है, वरन् इनकी आवर्तक संधारण की लागत आदि की भी जांच करली है।

श्री फ्रैंक एन्थनी: क्या मैं इन वायुयानों की निर्माण तिथि जान सकता हूं ?

श्री त्यागी: ये नये बनाये जा रहे हैं और सीधे देश में आरहे हैं।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि फ्रांसीसी सरकार से समझौता करने के पूर्व सरकार ने किन अन्य देशों से परामर्श किया था ?

श्री त्यागी: यह परामर्श देशों से नहीं किन्तु इन वायुयानों के बड़े बड़े निर्माताओं से किया गया था। उनके विशेष-विवरणों तथा मूल्यों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर ली गई थी। उन्नत नवीनतम प्रकार के लड़ाकू वायुयान फ्रांस में ही उपलब्ध थे और ये वायुयान ऐसे हैं जो फ़्रांसीसी सरकार ने स्वयं क्रय किये थे, और हमने भी उनको व्यावहारिक रूप में लगभग उसी मूल्य पर खरीदा है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या में यह जान सकती हूं कि इस सौदे के तथ्यों तथा आंकड़ों को जानने के लिये इस सदन के सदस्यों को कब अनमति मिलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी वे चाहें ।

श्री मुनिस्वामी : क्या में जान सकता हूं कि यह सच है क्या कि हमारे कुछ वायुयान चालक इन लड़ाकू वायुयानों को चलाने की शिक्षा लेने के लिये वहां भेजे गए हैं ?

श्री त्यागी : हां, श्रीमान, यह सच है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या हमें इन वायुयानों के संधारण के लिये फ्रांसीसी कर्मचारी वहां से यहां बुलाने पड़ेंगे ?

श्री त्यागी : नहीं । इन वायुयानों के संधारण के विषय में शिक्षा पाने के लिये हमने एक दल वहां भेज दिया है । वहां भेजे गये हमारे वायुयान चालक इन वायुयानों के संधारण, उनकी उड़ान तथा अन्य सम्बन्धित विस्तृत मामलों के बारे में शिक्षा पा रहे हैं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या में जान सकता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री ने पिछले सत्र में इसी विषय पर मेरे अल्प सूचना प्रश्न को क्यों नहीं स्वीकार किया था ?

उपाध्यक्ष महोदय शान्ति, शान्ति । यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या फ्रांसीसी सरकार ने ऐसे जैट लड़ाकू वायुयान पहले किसी अन्य देश के हाथ भी बेचे थे, या इन लड़ाकू वायुयानों को बेचने का यह पहला ही सौदा है ?

श्री त्यागी : प्रत्येक निर्माता के पास भिन्न-भिन्न टाइप तथा नमूने होते हैं, और प्रत्येक भिन्न वायुयान में विभिन्न प्रकार की डिजाइने होती हैं । हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वोत्तम प्रकार के छांट लेते हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि उन अंग्रेजी फर्मों से जो आज जैट लड़ाकू वायुयानों के निर्माण में प्रधान समझी जाती हैं, इस मामले में परामर्श किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ रहे , उन के प्रति मैं पूर्ण सम्मान से कहना चाहता हूं कि कोई भी फर्मों से इस प्रकार परामर्श नहीं करता फिरता। वह यह पता लगा लेता है कि विभिन्न फम या सरकारें क्या कुछ बेच रही हैं, और वह वायुयानों के मूल्य तथा कार्यकरण के अनुसार सर्वोत्तम छांट लेता है । ऐसे मामलों में लोक परामर्श या किसी समिति की बैठक की आवश्यकता नहीं होती यह मामले अंशतः गुप्त होते हैं, जैसे कार्यकरण आदि ।

इस मामले के सम्बन्ध में हमारे वायुयान चालक तथा अन्य व्यक्ति उनकी जांच करने तथा उन्हें उड़ा कर देखने के लिये कई बार वहां गए थे। उनके कार्य आदि की जांच की जा चुकी थी, और मैं समझता हूं कि यह मामला मंत्री मंडल की प्रतिरक्षा समिति द्वारा अलग अलग लगभग छः बार तय किया जा चुका था । प्रतिवेदनों, उत्तर-प्रतिवेदनों तथा उत्तर-प्रस्तावों सभी पर विचार कर लिया गया था और उसके पश्चात् यह अन्तिम रूप से निर्णय किया गया था ; और मैं समझता हूं कि जितना ध्यान इस मामले में दिया गया है उतना इस प्रकार के अन्य किसी मामले में शायद ही कभी दिया गया हो ।

कोरिया में भारतीय आहतोपचारिका इकाई

***३१३. श्री ए० के० गोपालन** : (क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कोरिया में जुलाई १९५३ में भारतीय आहतोप-

चारिका इकाई को दो वर्गों में वियोजित करने का निश्चय कर लिया है ?

(ख) कोरिया में कार्य करते समय इस इकाई के जो कर्मचारी मारे गये या आहत हुए उनकी संख्या क्या है ?

(ग) क्या इन में से किसी मृत्यु का कारण अमरीकी हवाई जहाजों से होने वाली बम-वर्षा भी थी ?

(घ) कोरिया में इकाई के भरण-पोषण पर भारत सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है ?

(ङ) उपकरणों तथा भाण्डार के प्रतिस्थापन का प्रबन्ध कौन करता है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) इकाई अभी वियोजित नहीं की जा रही है, किन्तु कर्मचारी दो वर्गों में प्रतिस्थापित किये जा रहे हैं। प्रथम वर्ग को अगस्त १९५३ के अन्त तक कोरिया पहुंचना है।

(ख)	मृत	२
	घायल	१८

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) ४·३० लाख रुपये के लगभग ।

(ङ) प्रधान कार्यालय, कोरिया में ब्रिटेश राष्ट्रमण्डलीय सेनायें, जिसके साथ इकाई संलग्न् है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं अब जबकि शत्रुता समाप्त हो रही है, तो इस इकाई के वहां क्या कृत्य हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इकाई अभी भी ठीक वही कार्य कर रही है, क्योंकि अभी वहां बहुत से बीमार लोग हैं। किन्तु वास्तव में यह इकाई हमारी सेनाओं के चिकित्सा सम्बन्धी विभाग में ज्यों ही वे वहां पहुंचेंगे खपा लिये जायेंगे ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार स्वतः ही इस इकाई की उस देश में सेवाएं चालू रखने पर वाग्वद्ध है यदि युद्ध पुनः छिड़ जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को पुनः युद्ध उत्पन्न हो जाने के ऐसे भयंकर परिणाम सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी हम अच्छा कार्य करने, अच्छी समाज सेवा करने के, अतिरिक्त किसी भी चीज के लिये वचन-वद्ध नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कल्पनात्मक प्रश्न है ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने बताया कि ये मृत्युएं तथा घायल होने की घटनाएं अमरीकी हवाई जहाजों द्वारा बम-वर्षा के कारण नहीं हुई। क्या मैं जान सकता हूं कि इन मृत्युओं तथा घायल होने की घटनाओं के कारण क्या थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन घटनाओं में से एक का कारण अस्पताल में बीमारी था ; दूसरे का युद्ध सम्बन्धी कोई कारण था—मुझे निश्चय नहीं कि यह घटना किस प्रकार हुई किन्तु मुझे विश्वास है कि यह गोलों के टुकड़ों का बिखरना या इसी प्रकार की कोई चीज इसका कारण रहा होगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच है कि हमारी इकाई की कोरिया में शानदार सेवाओं के बावजूद भी भारत को इतना अच्छा न समझा गया कि वह होने वाले राजनीतिक सम्मेलन में भाग ले सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे यह कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य का प्रश्न जहां तक मैं जानता हूं किसी भी प्रकार प्रसंगानुकूल नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता था कि माननीय मंत्री किसी प्रकार का उत्तर दें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: माननीय प्रधान मंत्री ने बताया कि हमारे सेना दलों के वहां पहुंच जाने पर यह आहतोपचारिका इकाई उन के साथ संलग्न् कर दी जायेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि ये हमारे दलों में, केवल उन की देख रेख करने के लिये ही, संलग्न किये जायेंगे, अथवा उनको दक्षिणी तथा उत्तरी कोरिया के सभी दलों की बराबर देख-रेख करने की अनुमति रहेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सम्भवत: इन दिनों में किसी दिन लगभग दो तीन दिन में कोरिया में लिये गये उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये मुझे अनुमति दी जायेगी। उन उत्तरदायित्वों में से रेड क्रास का कार्य भी है। यह निश्चय ही वहां दोनों पक्षों में होता है। यह इकाई उन के तथा अपने भी दोनों सेनाओं के दलों से संलग्न रहेगी।

शारीरिक तथा मानसिक कमी वाले बच्चों की गणना

*३१४. **डा० रामा राव :** (क) क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार नें हाल में ही भारत के (१) शारीरिक कमी वाले तथा (२) मानसिक कमी वाले बच्चों की गणना की है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार एसा करना चाहती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं।

(ख) मामला विचाराधीन है।

श्री नानादास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह बतला सकती है कि क्या किसी राज्य सरकार ने अभी तक इस कार्य को हाथ में लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, राजस्थान सरकार ने गणना करवाई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या रांची और दूसरे स्थानों में अपनी संस्थाओं से संलग्न कोई विभाग मानसिक कमी वाले बच्चों का इलाज करता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, रांची में मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के लिये एक संस्था है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह था कि क्या ऐसा कोई विभाग है, अथवा सरकार ऐसा विभाग विकसित करना चाहती है, जो इन अस्पतालों के साथ लगे हुए मानसिक विकार वाले बच्चों का इलाज करता हो ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि एजूकेशन विभाग की ओर से अन्धों की सेंसस के बारे में जो कमेटी बनायी गयी थी, उसने कोई सेंसस ली है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, सन १९४४ में हैल्थ मिनिस्ट्री और एजूकेशन मिनिस्ट्री की संयुक्त कोशिश से अन्धों की एक सेंसस ली गयी थी और उस गणना के अनुसार बीस लाख तादाद कुल निश्चित हुई थी। पर संभवत: इस से भी अधिक उनकी तादाद है।

श्रीमती जयश्री : क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि बाल सहाय्य समाज द्वारा चलाई गई एक संस्था बम्बई में मानसिक विकार वाले बच्चों का ध्यान रखती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं।

आदर्श शिशु अधिनियम

***३१५. डा० रामा राव :** क्या माननीय **शिक्षा** मंत्री १७ फरवरी १९५३ को शिशु सुधार सम्बन्धी हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सम्बन्ध में राज्य परिषद में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बतलाएंगे कि सरकार द्वारा आदर्श बाल अधिनियम को लागू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सरकार राज्य-परिषद में शिशु-विधेयक को प्रस्तुत करना चाहती है, और संसद की वर्तमान बैठक के बीच ही इस मामले को एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजना चाहती है ।

पैप्सू में साधारण निर्वाचन

***३१६. श्री पुन्नूस :** (क) क्या माननीय **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार पैप्सू में नये साधारण निर्वाचन करवा रही है ?

(ख) यदि एसा है तो निर्वाचन कब होंगे, और इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) हां ।

(ख) जैसा कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा में निर्दिष्ट है, सरकार की इच्छा है कि सीमा निर्धारण-आयोग के अन्तिम रूप में राज्य को बांटने के लिये प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्धारण करने के पश्चात और नवीन निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचन नामावली तैय्यार हो चुकने तथा विधिपूर्वक अन्तिम रूप में छप जाने के पश्चात पैप्सू में यथा शीघ्र आम चुनाव करवाए जायं ।

श्री पुन्नूस : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निर्धारण और निर्वाचन नामावली का पुनरीक्षण पैप्सू में आरम्भ हो चुका है ?

डा० काटजू : सीमा-निर्धाणि-आयोग काम कर रहा है और मैं ठीक रूप से नहीं जानता कि वह पैप्सू के इस मामले पर कब प्रतिवेदन दे सकेगा । जहां तक निर्वाचन नामावली का सम्बन्ध है, तो मुझे दिये गये समय सारणी के अनुसार यह कार्य भी चल रहा है और ऐसा बतलाया गया है कि उन्हें अन्तिम रूप में निर्वाचन नामावली को १४ दिसम्बर १९५३ को छपवाने की आशा है ?

श्री पुन्नूस : माननीय राज्य मंत्री के इस कथन को, कि यथाशीघ्र १९५४ में आम चुनाव करवाये जायेंगे, ध्यान में रखते हुए क्या मैं आशा कर सकता हूं कि वचन का पालन किया जायेगा ?

डा० काटजू : आज मेरे कह देने का प्रश्न नहीं है । जब मैंने राष्ट्रपति की उद्घोषणा सदन पटल पर रखी तो मैं ने कहा था कि सरकार की ऐसी इच्छा है कि आम चुनाव संभवतः जितनी जल्दी हो सकें, करवाये जायें । मैंने जो कुछ तब कहा उसी से बद्ध हूं । जहां तक मैं भविष्य को देख सकता हूं, इस में कोई देर नहीं होगी ।

सरदार हुक्म सिंह : सीमा निर्धारण-आयोग के अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप देने के पश्चात चुनाव करवाने के लिए सरकार को कम से कम कितना समय लगगा ?

डा० काटजू : हमें अभी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने सीमा निर्धारण आयोग को सीमा निर्धारण क काम पहले पैप्सू में प्रारम्भ करने के लिये कहा ह ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : आप को क्यों पूछना चाहिये ?

डा० काटजू : सीमा-निर्धारण-आयोग को किसी प्रकार का सुझाव देना मेरे लिये योग्य नहीं है। वह एक स्वतंत्र निकाय है। वह वास्तविक स्थिति को जानते हैं, और मुझे आशा है कि वह सब बातों का ध्यान रखेंगे।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं कह सकता हूं कि वे ऐसा करने वाले हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार निर्वाचन नियमों में कोई परिवतन करना चाहती है, ताकि पैप्सू में होने वाले निर्वाचनों की निष्पक्षता और शुद्धता में अधिक विश्वास हो सके।

डा० काटजू : मैं ने स्पष्ट आश्वासन दिलाया है कि जहां तक सरकार की शक्ति में है, हम यह देखेंगे कि निर्वाचन अधिक से अधिक निष्पक्षता और उचित ढंग से हों...

बाबू रामनारायण सिंह : नहीं।

डा० काटजू : ताकि मतदाता, बिना किसी भय के अपना मत दे सकें।

श्री वैलायुधन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या पैप्सू में सामान्य स्थिति आ पहुंची है और क्या इस का भी पैप्सू में पुर्निर्वाचन सम्बन्धी आदेश के साथ कोई सम्बन्ध है ?

डा० काटजू : आप समझते हैं पर इस शब्द 'सामान्य' कहने में कठिनाई है। मैं नहीं समझ सका कि इस से आप का क्या अभिप्राय है।

श्री वैलायुधन : तब आप ने क्योंकर सरकार संभाल रखी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न और प्रतिप्रश्न नहीं होने चाहिएं। माननीय मंत्री यह नहीं समझते कि यहां 'सामान्य' से क्या अभि प्राय है।

श्री पुन्नूस : मैं एक प्रतिवेदन का निर्देश कर रहा था, जो पत्रों में छपा, तथा वह प्रतिवेदन माननीय मंत्री द्वारा दिया गया बतलाया गया था, कि पैप्सू में निर्वाचन १९५४ में होंगे। क्या मैं जान सकता हूं ....

डा० काटजू : मैं उस पर स्थिर हूं। वह बिल्कुल ठीक है।

पैप्सू में डाकेबाजी

*३१७. **श्री पुन्नूस :** (क) राज्य मंत्री बतलानें की कृपा करेंगें कि राज्य में प्रधान के शासन होने के पश्चात पैप्सू मे डाके के कितने मामले पंजीबद्ध किये गये ?

(ख) क्या यह सच है कि यह आम कृपिक और मध्यम श्रेणी है, जिन्होंने इन डाकुओं की चढ़ाई के भार को सहन किया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) सात (५ मार्च से ले कर २७ जुलाई १९५३ तक के समय में)

(ख) इन मामलों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति अच्छे खाते पीते कृषिक तथा वे लोग हैं, जो मध्यम श्रणी से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री पुन्नूस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गयें हैं ?

डा० काटजू : हां, मेरी जानकारी के अनुसार इन सात डाकों में से दो में एक मारा गया है, और ८ गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार के पास शिकायतें पहुंची हैं कि अनजान व्यक्तियों को डाकू कह कर तंग किया जा रहा है ?

डा० काटजू : मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने पैप्सू कांग्रेस के प्रधान के वक्तव्य की ओर ध्यान दिया, जो प्रैस में लगभग ४ दिन हुए

निकला था, कि डाकों की घटनाओं में यह कमी अस्थायी स्थिति है ?

डा० काटजू : मैं भी ऐसी ही आशा करता हूं।

श्री एस० वी० रामास्वामी उठ खड़े—

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री का आशय है कि 'मुझे ऐसी आशा नहीं' ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र ने मुझ से पूछा कि क्या मैंने वह विशेष वक्तव्य पढ़ा। मुझे दुख से मानना पड़ता है कि मैंने नहीं पढ़ा। परन्तु मैं आशा करता हूं कि यह अस्थायी स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : कई अभिव्यक्तियां ऐसी होती हैं, जिन को समझा नहीं जा सकता।

श्री दामोदर मनन : मैं माननीय मंत्री को नहीं सुन सका। क्या वे यह आशा करते हैं कि डाकों की घटनाओं में कमी एक अस्थायी स्थिति रहेगी ?

डा० काटजू : मैंने यह आशा प्रकट की थी कि ये डाके थोड़े समय के लिए होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि एक दूसरे को समझने के लिये शीघ्रता की आवश्यकता नहीं। प्रश्न आसानी से पूछे जाने चाहियें। निस्सन्देह, अनावश्यक समय भी नहीं लिया जाना चाहिये और बीच में समय भी नहीं, नष्ट होना चाहिये। परन्तु प्रश्न शान्ति से, निश्चय से, विश्वास से और जोर से पूछे जाने चाहियें, और उसी प्रकार माननीय मंत्री भी विचार करने और उत्तर देने के लिए समय लें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पिछले महीने एक प्रस रिपोर्ट थी कि पप्पसू में कुछ डाकू राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं। क्या यह सच है ?

डा० काटजू : मैं वास्तव में ही इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या राष्ट्रपति के शासन होने के पश्चात् शान्ति और व्यवस्था की दशा पैप्सू में सुधर गई है।

डा० काटजू : निश्चय ही।

पदाधिकारियों को विदेशों में सैनिक प्रशिक्षण

*३१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में कितने पदाधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे गए ?

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितनी धन राशि व्यय की गई है या की जाने वाली है ?

(ग) उन्हे किस आधार पर चुना जाता है ?

रक्षा संघठन मंत्री (श्री त्यागी) :

(क) पदाधिकारी १४२
अधीनस्थ कर्मचारी.......१६७

(ख) इन दोनों प्रकार के प्रशिक्षणार्थियों पर होने वाले व्यय की राशि प्रशिक्षण की कालावधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। कुछ प्रशिक्षण तो दो वर्ष या इस से भी अधिक समय तक चालू रहते हैं जबकि कुछ केवल छै मास या इससे भी कम समय में पूरे हो जाते हैं। जहां तक कम समय में पूरे हो जाने वाले प्रशिक्षणों का समबन्ध है, सामान्य नीति यह है कि एक से अधिक प्रशिक्षणों के एक ही पदाधिकारी को दिये जाने का प्रबन्ध किया जाये ताकि किसी दूसरे पदाधिकारी के आने जाने का अतिरिक्त व्यय बचाया जा सके। प्रशिक्षण शुल्क भी भिन्न भिन्न प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न है। वर्ष १९५२-५३ में लगभग २७,५०,००० रुपये व्यय हुए थे।

(ग) प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि वे अमुक प्रशिक्षण के लिए तथा उन पदों के लिए, जिन पर उन्हें प्रशिक्षण के बाद नियुक्त किया जा सकता है, कहां तक उपयुक्त हैं। अभ्यर्थियों के चुनाव पर जिन मुख्य बातों का प्रभाव पड़ता है वे हैं उनकी योग्यता, ज्येष्ठता तथा अनुभव।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में नेवी की ट्रेनिंग के वास्ते कितने आदमी भेजे गए थे ?

श्री त्यागी : नेवी के लिये ज्यादा आफिसर्स भेजने पड़ते हैं, क्योंकि नेवी की सिखाई के वास्ते हिन्दुस्तान में इन्तजाम कम है और अगर सिखाने का इन्तज़ाम किया जाता है तो उसका खर्चा ज्यादा होता है और लड़कों की ज्यादा तादाद नहीं होगी, इसलिए खर्चा इतना करना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए नेवी के लिए ज्यादा आदमी बाहर भेजे गए हैं, आफ़िसर्स की तादाद ४८ है और सबार्डिनेट्स की तादाद १२१ है।

श्री रघुनाथ सिंह : मिकैनाइज्ड फ़ोर्स ट्रेनिंग के वास्ते यहां से कितने अफ़सर भेजे गए हैं ?

श्री त्यागी : जी हां, मैं मिकैनाइज्ड ट्रेनिग के पूरे माने नहीं समझ सका।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि ये अफ़सर इसी प्रकार की शिक्षा के लिये बाहर भेजे जायें जो कि उनको यहां भारत वर्ष में नहीं दी जा सकती ?

श्री त्यागी : जी हां, अब ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश की जा रही है कि जितने भी बाहर शिक्षा के लिये भेजते हैं वह सब शिक्षा यहां हमारे देश में उनको प्राप्त हो सके। परन्तु बहुत सी शिक्षाओं को देने के वास्ते खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है और हमारे लड़कों की तादाद इतनी नहीं है कि इतन खच को किया जा सके, इसलिये बहुत सी चीजों में हमको अपने सीखने वालों को वहां बाहर भेजना पड़ता है क्योंकि इसमें बचत रहती है।

श्री मुनिस्वामी : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि इन पदाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों में से मद्रास राज्य के कितने हैं ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बतला सकूंगा, श्रीमान्, क्योंकि सेना में हम साधारणत प्रान्तवार आंकड़े नहीं रखा करते।

श्री फ़्रैंक एन्थनी : क्या यह प्रशिक्षण केवल ब्रिटेन में ही दिया जाता है ?

श्री त्यागी : जी हां। ये प्रशिक्षण अधिकांशत: ब्रिटेन में ही दिये जाते हैं; परन्तु कुछ प्रकार के प्रशिक्षणों के लिए हमने अपने कुछ प्रशिक्षणार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका भी भेजे हैं क्योंकि अमेरिका टैकिनिकल क्षेत्र में बहुत उन्नत है। वहां, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश प्रशिक्षणार्थी संयुक्त राज्य तन्त्र ही जाते हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : ये पदाधिकारी प्रशिक्षण के निमित्त किन किन देशों को भेजे जाते हैं ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैंने अभी बतलाया अधिकांश पदाधिकारी संयुक्त राजतन्त्र भेजे जाते हैं; कुछ अमेरिका तथा कनाडा और एक दो अन्य देशों को भी भेजे जाते है।

श्री केलप्पन : ये पदाधिकारी सेना, नौसेना तथा वायु-सेना के किन किन वर्गों के होते हैं ?

श्री त्यागी : वे अपने अपने कार्य के अनुसार विभिन्न वर्गों से लिए जाते हैं।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये प्रशिक्षणार्थी संयुक्त राजतन्त्र में कितने हैं और अमेरीका में कितने हैं

तथा उन्हे किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इतने सारे प्रश्न एक साथ मिला दिये गए हैं माननीय मंत्री बस यह बतला दें कि संयुक्त राज तन्त्र तथा अमेरिका को कितने कितने प्रशिक्षणार्थी भेजे गये हैं ?

श्री त्यागी : मेरे पास एक लम्बा विवरण है जिसमें विस्तृत बातें दी गई हैं। मैं कुल संख्या बतलाने के लिये पूर्व सूचना चाहता हूं।

भारतीय सेना में कमीशन

*३१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री विलीन तथा एकीकृत राज्य सेनाओं के ऐसे पदाधिकारियों की राज्यवार संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिन्हे भारतीय सेना में कमीशन दिये गये ?

(ख) उनकी ज्येष्ठता किस प्रकार निर्धारित की जाती है ?

उपरक्षा मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]

(ख) उनकी ज्येष्ठता एक विशेष रूप से तैयार की गई "पौइन्ट प्रणाली" के द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके अन्तर्गत इन इन बातों का ध्यान रखा जाता है राज्य सेनाओं में की गई पिछली कमीशन-सेवा, भारतीय सैनिक आकैदमी या किसी पदाधिकारी प्रशिक्षणालय में प्राप्त प्रशिक्षण, कोर्स जो प्राप्त किए हों, पद जो धारण किये हों और सम्मान तथा पुरस्कार जो प्राप्त किये हों। "पौइन्ट प्रणाली" सम्बन्धी नियमों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर भी रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]

श्री रघुनाथ सिंह : अब तक कितने आदमी इसमें लिये गए हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह स्टेटमेंट में सब दिया हुआ है ; ५२९ अफ़सर स्टेट फ़ोर्सेज़ के अब तक भारतीय सेना में लिये जा चुके हैं।

श्री फ़्रेंक एन्थनी : इन ५२९ में से कितनों को नियमित कमीशन तथा कितनों को आयातिक कमीशन दिये गये ?

श्री सतीश चन्द्र : ये ५२९ पदाधिकारी भारतीय सेना में स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों के रूप में ले लिये गये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या चुनाव करने के निमित्त बनाये गये बोर्ड में राज्य सेनाओं के भी कोई प्रतिनिधि हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : सेना की समस्त श्रेणियों के पदाधिकारियों का चुनाव भारतीय सेना का "सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड" करता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन पदाधिकारियों को चुनाव के समय बोर्ड में राज्य सेनाओं का भी कोई सदस्य था ?

श्री सतीश चन्द्र : ये पदाधिकारी राज्य सेनाओं के विलय या एकीकरण के बाद चुने गये थे । अतः जिस समय यह चुनाव किये गये थे उस समय राज्य सेनायें नहीं थीं ।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि ये अनुसूचित जाति के कितने लोगों को सेना में कमीशन दिये गये ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास अनुसूचित जाति के लोगों के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े नहीं हैं ।

अल्प सेवा कमीशन

*३२०. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस वर्ष कुछ असैनिक टैकनिकल स्नातकों को अल्प सेवा कमीशन दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितनों को ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख) जी नहीं। हां, ४० असैनिक टक्निकल स्नातकों को, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एकडमी में टैक्निकल स्नातक प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद, ८ जून, १९५३ से स्थायी नियमित कमीशन दिये गये।

श्री रघुनाथ सिंह : यह जो शार्ट सर्विस कमीशनस् में लोग लिये गये हैं, क्या इनके परमानेन्ट होने की कोई उम्मीद है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस सवाल में यह पूछा गया था कि इस साल कितने आदमी शार्ट सर्विस कमीशनस में लिये जा चुके हैं, मैंने जवाब में अर्ज किया कि ४० आदमी लिये गये, और वह ४० आदमी परमानन्ट रेगुलर कमीशन में लिये गये।

विश्वविद्यालयों के अन्ग्रेजी के प्रोफ़ेसरों का सम्मेलन

*३२२. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि क्या विश्वविद्यालयों के अंग्रेज़ी के प्रोफेसरों के सम्मेलन की सिपारिशों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो सिपारिशें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिपारिशों पर अमल करने का है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) सम्मेलन की सिपारिशों पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जाना है। सरकार उन पर कोई विनिश्चय उसके बाद ही करेगी।

चौ० रघुवीर सिंह : सरकार को इन सिपारिशों पर अमल करने में कितना समय लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इन सिपारिशों पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बैठक कब हो रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : अगले नवम्बर में।

श्री पुन्नूस : क्या सब विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि आ रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : वैसे तो सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के आने की आशा है, परन्तु हो सकता है कुछ के न आयें।

श्री पुन्नूस : मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि ट्रावन कोर कोचीन विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि आयेगा या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं देख कर बतलाता हूं कि उसका कोई प्रतिनिधि अयेगा या नहीं —हां, डा० शिवा सुब्रह्मण्यम आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम का नाम है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या इस सम्मेलन की सिपारिशें सदन पटल पर रखीं जायेंगी ?

श्री के० डी० मालवीय : हां। सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद वे सदन पटल पर रखी जायेंगी।

सहायक शिक्षा अधिकारी

*३२३. **चौ० रघुवीर सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में सहायक शिक्षा अधिकारी (परीक्षा) तथा सैक्शन अधिकारी के अतिरिक्त गज़टेड पद बनाये गये हैं तथा यदि हां, तो कितने ?

(ख) क्या इन पदों के लिये विज्ञापन निकाले गये थे ?

(ग) इन पदों के लिये पदाधिकारी किस आधार पर चुने गये ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, अखिल- भारतीय शिल्पि शिक्षा परिषद की नेशनल डिप्लोमा तथा सार्टीफिकेट परीक्षाओं सम्बन्धी कार्य के सिलसिले में सहायक शिक्षा अधिकारी का केवल एक गज़टेड पद बनाया गया है। केवल इस कार्य के लिये सैक्शन अधिकारी का कोई पद नहीं बनाया गया है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्तमान पदधारी, जो कार्य-वाहक सहायक शिक्षा अधिकारी के रूप में पहले से ही कार्य कर रहा था, स्थानान्तर द्वारा नियुक्त किया गया था ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या इस मामले में संघ लोकसेवा आयोग से परामर्श कर लिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह आवश्यक नहीं है कि अस्थायी नियुक्तियों के लिये भी संघ लोकसेवा-आयोग से परामर्श किया ही जाये।

चौ० रघुवीर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक बड़ा पद है, क्या इस मामले में संघ लोकसेवा-आयोग से पहले परामर्श लेना आवश्यक नहीं था ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तो इस स्थान पर एक व्यक्ति अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है जो पदाधिकारी के दिल्ली पोलिटैक्नीक से, जहां कि वह इस समय रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहे हैं— वापसी आने तक काम करता रहेगा । संघ लोकसेवा-आयोग से परामर्श कर लिय गया है।

श्री वेलायुधन : क्या मंत्रलाय में ऐसा कायदा है कि पहले पदाधिकारी नियुक्त कर दिये जाते हैं और फिर उनकी नियुक्ति को नियमित करने के लिये संघ लोकसेवा-आयोग की मंजूरी ले ली जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह मंत्रालय की नीति तो नहीं है, परन्तु कभी कभी जब आवश्यक समझा जाता है तो एक वर्ष के लिये अस्थाई रूप से ऐसी भी नियुक्ति करनी पड़ती है।

श्री नानादास : इस पद के लिये किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को चुनने के प्रश्न पर क्या विचार किया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

भारत पाकिस्तान सीमा पर छुपे चोरी माल ले जाने वाले लोग

***३२६. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जनवरी से मई, १९५३ के बीच भारतीय पुलिस द्वारा क्या छुपे चोरी माल ले जाने वाले कुछ लोग गोली से मार डाले गये थे और यदि हां तो कितने ?

(ख) क्या छुपे चोरी माल ले जाने वाले कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिये गए हैं और यदि हां , तो कितने ?

(ग) मारे गये और गिरफ्तार किये गये लोगों से कितने मूल्य की संपत्ति या अन्य माल छीन लिया गया था ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर छुपे-चोरी माल ले जाने वाले सात व्यक्ति गोली से मारे गये थे। सातों ही व्यक्ति बहि: शुल्क व पुलिस की गश्ती टुकड़ियों के साथ हुए झगड़े में मारे गए थे। पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली नहीं चली ।

(ख) जनवरी से मई १९५३ तक के समय में पुलिस द्वारा २० व्यक्ति गिरफ्तार

किये गए थे; इनमें से भारतीय दंड संहिता की धारा ३०७ के अधीन चार को अभियोग चलाकर सजा कराई जा चुकी है और शेष सोलह पर अभी अभियोग चल रहा है ।

(ग) गोली से मारे गये और गिरफ्तार किये गए लोगों से क्रमशः २,७०० रुपये और ११,२३० रुपये की संपत्ति मिली है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि मारे गए लोग भारतीय प्रजाजन थे या पाकिस्तानी प्रजाजन ?

श्री ए० सी० गुहा : एक भारतीय प्रजाजन था और अन्य सब पाकिस्तानी थे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है कि छुपे चोरी माल ले जाने वालों को देखते ही गोली मार दी जाय, और यदि हां, तो क्या कोई भारतीय प्रजाजन इस अध्यादेश के आधीन मारा गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : पाकिस्तानी अध्यादेश के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । पर इधर से गोली चली थी और उधर से भी गोली चली थी और उसकी आवृत्ति हुई थी । उस ओर बारह व्यक्ति मरे जिनमें एक भारतीय था और शेष पाकिस्तानी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि छुपे चोरी माल ले जाते समय पशु भी चुराये जाते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : यह कभी कभी होता है ; पर अभी वैसा कोई विवरण नहीं मिला है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार को बसीर हाट और टाकी के बीच भारी पैमाने पर छपे चोरी माल ले जाये जाने की बात विदित ह, जिसमें खाद्यान्न पाकिस्तान की ओर जात हऔर दूसरा माल इस ओर आता है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार से इस समाचार में कुछ तथ्यांश होगा, पर फिर भी मेरा विचार है कि कभी कभी य समाचार अतिरंजित होते हैं ।

श्री नामधारी : क्या यह सच नहीं है कि इनमें से अधिकांश छुपे चोरी माल ले जाने वाल लोग साम्यवादी थे ?

श्री जी० पी० सिन्हा : भारत पाकिस्तान के बीच कौन-कौन पदार्थ छुपे चोरी ले जाए जाते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : आयात होने वाले पदार्थ हैं : चालू न रहने वाले चांदी के सिक्के, चांदी की छड़ें, दूध पिलाने के निपल, चरस, सफेद इंग्लिश जालियां, मक्खन जीन और इंग्लिश कपड़े आदि । पूर्वी पाकिस्तान की ओर मुख्यतः सुपाड़ी । निर्यात होने वाले पदार्थ हैं : तिल्ला और जरि के काम, छोटी-बड़ी इलायची, काली मिर्च, सस्ती भारतीय सिगरेटें आदि ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि सस्ती बीड़ी की पत्तियां पूर्वी पाकिस्तान को छुपे चोरी भेजी जाती हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : ऐसे भी कुछ मामले होंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताई गई इस बांत की दृष्टि में कि छुपे-चोरी माल आ-जा रहा है, मैं जान सकती हूं कि कितने अभियोग चलाए गए हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कई अभियोग चलाए जा चुके हैं ; कुछ को सजा भी हो चुकी है और कुछ मामले अभी न्यायालयों में पड़े हुए हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ऐसे भी कुछ मामले हैं, जिनमें पुलिस और बहिःशुल्क

के अधिकारी इन छपे चोरी माल लाने-ले जाने के मामलों में फंस गए हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

*३२७. **श्री बी० सी० दास** : क्या शिक्षा मंत्री राज्य परिषद् में १८ फरवरी १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के अनुपूरकों का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

क्या मई, १९५३ में प्राप्य माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिसदन-पटल पर रखी जाएगी ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो देर का कारण क्या है और प्रतिवेदन के कब तक मिलने की आशा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन प्रेस में है, और उलपब्ध होते ही सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

श्री बी० सी० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयोग ने अपन अनुसंधान संबंधी दौरे में समूचे देश को समेट लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : आयोग ने समूचे देश को और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों को समेट लिया है ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की इस शिकायत की ओर आकर्षित किया गाया है कि आयोग ने शिक्षा विशारदों को उचित समय नहीं दिया ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री वेलायुधन : में जान सकता हूं कि क्या प्रारंभिक शिक्षा के पुनर्गठन से भी आयोग का कुछ संबंध था ?

श्री के० डी० मालवीय : यह माध्यमिक शिक्षा आयोग था ।

श्री बी० सी० दास : क्या मैं इस आयोग पर हुए व्यय को जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास आंकड़े नहीं है ।

भारतीय वायुसेना के अग्निवर्षक विमान की दुर्घटना

*३२८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के निकट गांधीघाट में २८ मई १९५३ को प्रातः भारतीय वायुसेना का एक स्पिटफायर विमान गिर गया, जिस से चालक मारा गया ;

(ख) यदि सच है, तो क्या दुर्घटनाओं के कारणों की कुछ जांच की गई थी ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस के परिणाम ?

रक्षा संघठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खेद है कि बारकपुर हवाई-मैदान में २८ मई, १९५३ को भारतीय वायुसेना का एक स्पिटफायर गिर गया, जिस के कारण उसम बैठे हुए एकमात्र चालक फ्लाइंग अफसर एस० कुमार मारे गए । चालक एक स्थानीय प्रशिक्षण उड़ान पर था । संभावनाएं ऐसी हैं कि हवा में पहुंचते ही तत्काल इंजन गड़बड़ हो गया होगा । परिणाम स्वरूप उन्होंने विवश होकर उतरने की चेष्टा की और ऐसा करने में स्थान की कमी के कारण विमान एक तार के खंभे से टकरा गया और ज़मीन पर गिर गया । चालक तुरंत मारा गया ।

(ख) और (ग) एक जांच-न्यायालय अनुसंधान कर रहा है और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि इस वर्ष दुर्घटनाओं में ग्रस्त होने वाले सैनिक विमानों की संख्या गत वर्ष के तत्संवादी काल की अपेक्षा अधिक है ?

श्री त्यागी : खेद है कि होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़े मेरे पास तैयार नहीं हैं। शायद वे अधिक नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इन सैनिक विमानों में मारे जाने वाले चालकों को कुछ क्षतिपूर्ति दी जाती है ?

श्री त्यागी : ऐसे कुछ नियम हैं जिनके अनुसार अनुसंधान हो जाने के बाद इन मारे गए चालकों के परिवारों को पेन्शन या कुछ अन्य रियायतों के रूप में, जिनके विषय में मेरे पास सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, क्षतिपूर्तियों प्रदान की जाती हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मारे गए चालकों के नाम रहने वाले निवृत्ति-वेतन और उपदान (ग्रेच्युटी) भी उनको प्रदान किए जाते हैं ?

श्री त्यागी : इसको शासित करने वाले कुछ नियम हैं। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हैं, तो मैं उनको उनके लिए उपलब्ध कर दूंगा; वे सार्वजनिक संपत्ति हैं।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि दुर्घटना में ग्रस्त होने वाला विमान बिल्कुल जल गया था या उसे बचा लिया गया है ?

श्री त्यागी : वह लगभग पूरा-पूरा नष्ट हो गया ; उसकी लागत एक लाख पचास हजार रुपये थी।

उच्च प्रदेशस्थ गवेषणा केन्द्र

*३२९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उच्च प्रदेशस्थ गवेषणा-केन्द्र स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल गया है ?

(ख) यदि हां, तो कहां पर और कितनी ऊंचाई पर ?

(ग) उच्च प्रदेशस्थ गवेषणा केन्द्र विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(घ) उनके वेतन क्या हैं?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

(घ) सदस्यों को कुछ वेतन नहीं मिलता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या उच्च प्रदेशस्थ गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है भी या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्। एक प्रस्ताव था, पर कुछ कठिनाइयां थीं और इस कारण पूरे प्रश्न पर विचार किया गया और उस पर अब भी नए सिरे से विचार चल रहा है। पूरी जानकारी प्राप्त होते ही हम उस प्रस्ताव को मूर्त्त रूप प्रदान करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कठिनाइयां क्या हैं—क्या स्थान चुनने का प्रश्न है या और कुछ ?

श्री के० डी० मालवीय : पहली कठिनाई तो उन व्यक्तियों को प्राप्त करने की है, जो १६००० फीट ऊंचे जाकर स्थान खोज निकालेंगे, १९४८ के बाद सिक्किम और लाहौल की

यात्राएं की गईं हैं। उच्च प्रदेशस्थ गवेषणा केन्द्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान निश्चित करने के विषय में एक निर्णय पर पहुंचने की दृष्टि से कुछ अन्य क्षेत्रों का भी पर्यवेक्षण किया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस गवेषणा-केन्द्र में वैज्ञानिक गवेषणा की वस्तुतः कौन-कौन मदें हाथ में ली जाने वाली हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : वे बहुत सी हैं। इस गवेषणा-केन्द्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य हिम और हिम नदियों ; ज्योतिष और सौर जगत् ; ज्योतिभौतिकि, और विश्वकरण (कौस्मिक रे) के संचार आदि का अध्ययन करना है।

पंजाब में प्रशिक्षण केन्द्र

*३३०. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सेना तथा वायुबल के कितने प्रशिक्षण केन्द्र पंजाब में चलाये जा रहे हैं।

(ख) क्या और अधिक केन्द्र खोलने की कोई योजना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) पंजाब में सेना तथा वायु बल के यह प्रशिक्षण केन्द्र स्थित हैं :—

(१) मुरखा प्रशिक्षण केन्द्र, धर्मशाला ;

(२) बार्डर स्काउटस प्रशिक्षण केन्द्र, पालमपुर; तथा

(३) उड्डयन प्रशिक्षकों का स्कूल, अम्बाला।

(ख) जी नहीं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या श्रीमान् में यह जान सकता हूं कि क्या इन केन्द्रों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ है और क्या नये केन्द्रों का खोला जाना वांछनीय नहीं होगा ?

सरदार मजीठिया : कोई भीड़ भाड़ नहीं है श्रीमान्, केन्द्रों को वहां उन स्थानों की उपयुक्तता को देख कर ही खोले गये थे।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन केन्द्रों में उपलब्ध हो रही प्रशिक्षण सुविधायें क्या वास्तव में पर्याप्त हैं ?

सरदार मजीठिया : अभी मैं ने निश्चित रूप से यह निवेदन किया है कि वे पर्याप्त हैं और अधिक की अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य राज्यों में, और विशेष रूप से आंध्र में सेना तथा वायुबल प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की कोई योजना है ?

सरदार मजीठिया : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है श्रीमान्।

श्री अच्युतन : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकार की नीति इन केन्द्रों को सारे देश भर में खोलने की है अथवा कुछ राज्यों में ही ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सेवा के हित में केंद्रों का कुछ निश्चित स्थानों पर खोला जाना ही हम को आवश्यक तथा कार्यसाधक मालूम हुआ है।

स्मारक

*३३१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश के और अधिक स्मारकों को स्मारक सुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने का विचार कर रही है ; तथा

(ख) क्या सरकार ने इन राज्यों में स्थित इन रक्षित स्मारकों के सम्बन्ध में कोई ऐसा साहित्य प्रकाशित किया है जो कि यात्रियों के काम आ सके ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) पुरातत्त्व विभाग ने इन राज्यों में स्थित रक्षित स्मारकों के सम्बन्ध में कोई मार्ग प्रदर्शक करनेवाली पुस्तक प्रकाशित नहीं की है, परन्तु पुरातत्त्व के भूतपूर्व संयुक्त महासंचालक श्री एच० एल० श्रीवास्तव ने अग्रोहा स्थान पर की गई खुदाई के सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित किया है, और परिवहन मंत्रालय ने एक पुस्किा "कुल्लु और कांगड़ा" नाम की प्रकाशित की हैं, इस में इन राज्यों में स्थित कुछ स्मारकों का वर्णन किया गया है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं इन स्मारकों को रक्षण में लिये जाने की प्रणाली जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : पुरातत्त्व विभाग द्वारा इन स्मारकों की ऐतिहासिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से जांच की जाती है और यदि पुरातत्त्वीय तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनको महत्वपूर्ण समझा जाता है तो उनको रक्षित स्मारकों की सूची में समिलित कर लिया जाता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय को नये स्मारकों के सम्बन्ध में सूचना किस प्रकार प्राप्त होती है और किस प्रकार वह उनकी उपयोगता का विचार करते हुए उन के रक्षित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश देता है ?

श्री के० डी० मालवीय : पुरातत्त्व विभाग जैसी एक संस्था है, जो कि सूचना देती है और इस के पश्चात समस्त प्रश्न की जांच की जाती है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह संस्था वास्तव में कार्य कर रही है अथवा मरणोन्मुख अवस्था में है ? मुझे ज्ञात है कि पंजाब पैप्सू में इतने स्मारक हैं..

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से सदन की कार्यवाही पर ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री रघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गत वर्ष चुनी गई समिति की चुनाव के बाद कोई बैठक हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समिति की बैठक शीघ्र ही होने वाली है ।

श्री रघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समिति द्वारा इन स्मारकों की शोचनीय अवस्था के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : कमेटी इस ग़रज़ (उद्देश्य) से नहीं बनाई थी कि कोई रिपोर्ट दे।

भारत में बनाये गये वायुयान

***३३२. प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) प्रति रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-१९५३ में भारत में कितने वायुयान बनाये गये हैं ?

(ख) इन वायुयानों की सम्पूर्ण लागत कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). प्रवर्त्तनीय आवश्यकताओं के कुछ वायुयानों को जोड़ कर बनाया गया है तथा खोलकर सफ़ाई की गई है । मुझे खेद है कि सुरक्षा कारणों से मेरे लिए और अधिक सूचना देना संभव नहीं होगा । इस के अतिरिक्त, सन् १९५२-५३ में चार एच० टी०-२ ट्रेनर वायुयान बनाये गये हैं । इन वायुयानों की प्राथमिक लागत का अनुमान कोई एक लाख रुपया लगाया गया है, परन्तु जब उत्पादन बढ़ेगा, तो लागत काफी कम हो जायेगी, लागत कोई ६०,००० रुपये तथा ७५,००० रुपये के बीच आयेगी. परन्तु यह लागत व्यादेश

दिये गये वायुयानों की संख्या तथा ग्राहक की आवश्यकतानुसार प्रत्येक वायुयान में फ़िट किये जाने वाले विभिन्न उपकरणों पर निर्भर होगी।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार के वायुयान यहां सम्पूर्णतया बनाये जाते हैं, केवल जोड़कर तैयार नहीं किये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : माननीय सदस्य के कहने का सारा आशय क्या है, यह समझने में मैं असमर्थ रहा हूं। जैसा कि गत सत्र में दिये गये एक उत्तर में बताया गया था "६२-वायुयान" रूपांकन तथा निर्माण कार्य भारत में ही होता है। विदेशी वस्तु केवल इंजन होता है जिसे आयात किया गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन उपकरणों का कितना प्रतिशत भाग भारत में बनाया जाता है ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि "६२-वायुयान" के इंजन तथा उड्डयन सम्बन्धी कुछ औज़ारो को छोड़ वायुयान का शेष भाग भारत में बनाया जाता है।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने यह कहा कि इन वायुयानों के इंजन हम को बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये इंजन भी भारतवर्ष में तैयार किये जायें ?

सरदार मजीठिया : जी हां, श्रीमान्। हमको ऐसे ३०० इंजन संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन से बहुत कम लागत पर मिल गये थे। उन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है जिन के द्वारा हम निकट भविष्य में ही हवाई जहाज़ों के इंजनों का निर्माण करना प्रारम्भ कर देंगे।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने एक बात और यह कही कि जब हमारे यहां पर अधिक संख्या में वायुयान बनने लगेंगे तो इन का खर्चा प्रतिवर्ष घट जायेगा। तो कितने वायुयान प्रतिवर्ष बनेंगे, क्या इसका कोई अनुमान है ?

सरदार मजीठिया इस विशेष प्रकार के वायुयान के हमारे पास ३०० इंजन हैं और मंत्रालय को आशा है कि हम उनको भी बना सकेंगे। उसी आधार पर मेरा यह कहना है कि लागत घट कर कोई ६०,००० रुपये तक आजायेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी किस्म के बने हुए विदेशी हवाई जहाज की जो कीमत होती है उस में और हिन्दुस्तान में बने हुए हवाई जहाज की कीमत में कितना फर्क होगा ?

सरदार मजीठिया : जिस प्रकार का ट्रेनर वायुयान उपलब्ध है उसी प्रकार के मूल ट्रेनर का मूल्य उस मूल्य से संभवतः कुछ अधिक होगा जो कि हमें उस के लिए उस समय देना होगा जब कि इसका पूर्ण रूप से उत्पादन होने लगेगा।

श्री जयपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एच टी-२ किस्म का वायुयान बहुत उत्तम प्रकार का प्रशिक्षक वायुयान सिद्ध हो चुका है, तो क्या सरकार दक्षिण-पूर्वी ऐशिया की मांग को पूरा करने के विचार से उत्पादन की वर्तमान गति का प्रसार करने की प्रस्थापना करती है ?

सरदार मजीठिया : यह तो एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है। विदेशी व्यापार में भाग लेने के लिए हम इस प्रश्न पर पहले से ही विचार कर रहे हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : हिन्दुस्तान में जो हवाई जहाज बनाये जाते हैं उन में कितने मूल्य के पार्टस (भाग) हिन्दुस्तान में बने हुए होते हैं और कितने मूल्य के विदेश से मंगाये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि केवल इंजन तथा बहुत कम उड्डयन सम्बधी औजारों के अतिरिक्त वायुयान का शेष भाग पूर्णतया भारत में बनाया जाता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैंने मूल्य के विषय में पूछा था, की मत पूछी थी।

सरदार मजीठिया : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका था। मैं यह निवेदन कर दूं कि इस लागत का १० प्रति शत से अधिक भाग विदेशी नहीं होता है।

सरकारी कर्मचारियों की चल परिसम्पत्तियां

*३३३. **श्री दाभी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि योजना आयोग ने अपनी पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को उन के द्वारा अथवा उन के नजदीकी सम्बन्धियों द्वारा गत वर्ष में अर्जित की गई चल परिसम्पत्तियों का एक विवरण प्रतिवर्ष देने का आदेश दिया जाये ;

(ख) यदि ऐसा है तो, क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आयोग द्वारा की गई इस सिफारिश की सम्पूर्ण उपलक्षणाओं की जांच की जा रही है और कार्यान्वित करने से सम्बन्धित ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों तथा उन के नजदीकी सम्बन्धियों द्वारा अर्जित अचल सम्पत्ति पर भी समान रूप से लागू होती हैं और क्या सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को यह विवरण देने आवश्यक होंगे ?

श्री दातार : जहां तक अचल सम्पत्ति का समबन्ध है हमारे यहां सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में एक नियम पहले से ही है जिस के अनुसार उन को उन के द्वारा खरीदी गई अचल सम्पत्ति का एक विवरण देना होता है।

सेठ गोविन्द दास : सरकारी नौकरों के सम्बन्ध में यह जो व्यवस्था की जा रही है, इस में क्या मिनिस्टर भी शामिल रहेंगे ?

श्री दातार : श्रीमान्, हम सरकारी कर्मचारियों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और मंत्री सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। वह अन्य नियमों से शासित होते हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह सब पर लागू होंगे ?

श्री दातार : सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को चाहे वह राज्य सरकार में हों अथवा केन्द्रीय सरकार में हों, ऐसे विवरण देने होंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औद्योगिक वित्त निगम

*३२४. **श्री हेडा** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक वित्त निगम के कार्यकरण की जांच कर के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की गई जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ?

(ख) किन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है ?

(ग) किन सिफारिशों को सरकार स्वीकार नहीं कर सकी है और क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग)। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध जांच

*३२५. **श्री हेडा :** (क) गृह-कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सर आर्थर ट्रेवर्ज हैरिस जिन्होंने कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार और व्यवसायिक कदाचार दोषों की जांच पड़ताल की है कि इस सम्बन्ध में क्या उपपत्तियां हैं ?

(ख) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). यह मामला परामर्श के लिए संघ-लोक-सेवा आयोग के पास भेजा गया है और जब तक उन का परामर्श प्राप्त नहीं होता, तब तक किसी प्रकार की बात का बतलाना उचित नहीं होगा।

हार्वर्ड हवाई जहाज

*३३४. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) प्रतिरक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल अकाडमी जोधपुर के कुछ केडिटों ने गुप्त रूप से एक हार्वर्ड हवाई जहाज को निकाल लिया और उसे अनुमति के बिना ही पाकिस्तान ले गये ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां।

(ख) दो केडिटों पर मुकदमा चलाया गया, और दण्डन्यायालय द्वारा प्रत्येक को १८ महीने की साधारण कैद और ७५० रुपये जुर्माने का दण्ड दिया गया।

जमीनों को छुड़ाने के लिये मुआवज़े के दावे

*३३५. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) प्रतिरक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि पटे, और उत्सर्जन सेवा विभाग के पास इस समय अधिगृहीत भूमि तथा भवनों की छुड़ाई से सम्बन्धित प्रतिकर दावों के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

(ख) ऐसे मामलों की क्या संख्या है, जिनमें भवनों और सड़कों का निर्माण हुआ था ?

(ग) क्या यह सच है कि ऊपर वर्णित भूमि के बारे में सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ?

(घ) क्या सरकार वर्तमान भवनों को गिराना अथवा उनकी नीलामी करवाना चाहती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) भूमि—११६९

भवन—७९९

जोड़ १९६८

(ख) ११६९

(ग) सरकार अपने द्वारा अधिगृहीत की गई सम्पत्ति चाहे वह भूमि हो अथवा भवन का मुआवजा देने की उत्तरदायी है।

(घ) वर्तमान प्रबन्धों के आधीन अधीगृहीत की गई भूमि को अपनी मूल अवस्था में लाया जायगा—उस समय के पश्चात जब कि उनकी आवश्यकता सरकार के लिये नहीं रहेगी। इस लिये भवनों की अपनी विध्वंस लागत के लिये नीलामी की जायेगी। जब तक कि भूमि का स्वामी अपने अधिकार को छोड़ने और उनके हस्तांतरण मूल्य के लिये भवन को खरीदने के लिये तैयार नहीं होता।

यूनैस्को प्रादेशिक सम्मेलन

*३३६. श्री एस० सी० सामन्त : शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे —

(क) क्या पिछले दिसम्बर में बम्बई में हुए यूनैस्को प्रादेशिक सम्मेलन की सिपारिशों पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि किया है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) यूनैस्को प्रादेशिक सम्मेलन की निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी सिपारिशें राज्य सरकारों के, जो मूल रूप में ऐसी शिक्षा के लिये उत्तरदायी हैं, ध्यान में ला दी गई हैं। जहां तक यूनैस्को द्वारा की जाने वाली टैक्निकल सहायता सम्बन्धी सिपारिशों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे परिषधता वजीफे पुस्तकों, आदि के विषय में अपनी आवश्यकताओं की सूचना दें।

इम्फाल में नगर क्षेत्र का विस्तार

*३३७. श्री एल० जे० सिंह : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार इम्फाल में नगर क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो, उस के सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां।

(ख) इम्फाल टाऊन फण्ड कमेटी ने पड़ताल की है, और पहले ही थोड़ा सा विस्तार कर लिया है, जिसमें कालेज कोलोनी, पैलेस और पोलिस बाजार के क्षेत्र आ जाते हैं। तीन परामर्शदाताओं की एक समिति इस बात का परीक्षण करने के लिये, बनाई गई है, जो कि इस बात पर विचार करेगी कि क्या यह क्षेत्र और अधिक विस्तृत किया जा सकता है।

सैण्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो देहु रोड (हड़ताल)

*३३८. श्री विट्ठल राव : (क) रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय आर्डनेन्स डिपो, डेहू रोड के कर्मकरों ने पहली जून १९५३ को हड़ताल कर दी थी ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह हड़ताल छंटनी के विरोध में की गई थी ?

(ग) कितने कर्मकरों की छंटनी की गई थी ?

(घ) उनको नौकरी में लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(ङ) निकाले गये कर्मकरों को क्या मुआवजा अथवा सहायता दी गई है ?

(च) क्या निकाले गये कर्मकरों को सरकारी क्वार्टरों में रहने तथा हस्पताल आदि की सुविधाओं का उपभोग करने देने की अनुमति दी गई है। क्योंकि वे बेकार हैं, और उनके पास जीवनोपार्जन के कोई साधन नहीं हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ९३०.

(घ) निकाले गए कर्मचारियों को दूसरी रक्षा प्रतिष्ठापनाओं और सरकारी काम में लगाने के लियें प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया है। निकाले गए कर्मचारियों में से २७० के लिए वैकल्पिक नौकरी प्राप्त की गई है।

(ङ) नहीं, क्योंकि नियमाधीन विशेष-छंटनी मुआवजा अथवा आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती ।

(च) जी नहीं ।

एकल न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करता हो

*३३९. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वे 'ख' तथा 'ग' राज्य जहां केवल एक ही न्यायाधीश उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करता है ; और

(ख) क्या भारत सरकार के सामने ऐसे 'ख' तथा 'ग' राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैंच अथवा न्यायिक अभ्युक्तों की बैंच नियुक्त करने की कोई योजना है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):

(क) 'ख' भाग के राज्य—शून्य
'ग' भाग के राज्य—अजमेर,
भूपाल,
विन्ध्य प्रदेश
हिमाचल प्रदेश,
बिलास पुर,
मनीपुर
त्रिपुरा,
कच्छ ।

(ख) जी नहीं ।

हाली सिक्का (विमुद्रीकरण)

*३४०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाली सिक्का की कुल रकम जो पहली अप्रैल १९५३ को हैदराबाद में हाली सिक्के के विमुद्रीकरण के पश्चात सरकारी कोषागार में वापिस आई ? और

(ख) राज्य में हाली सिक्का का स्थान लेने के लिये भारत सरकार द्वारा अब तक दी गई भारत सरकार की मुद्रा की कुल रकम ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हैदराबाद राज्य में पहली अप्रैल से ३० जून १९५३ तक जितना हाली सिक्का वापिस आया, उस की शुद्ध रकम ओसमानिया राज्य के १४.०६ करोड़ रुपये होती है ।

(ख) २६ जनवरी १९५० जब कि भारतीय मुद्रा को राज्य में विधिग्राह्य घोषित की गई थी तथा ३० जून १९५३ के बीच ६२ क्रोड़ रुपये भारतीय मुद्रा राज्य में परिचालित किया गया है ।

सामुदायिक योजनायें

*३४१. **श्री बाल्मीकि :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सामुदायिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए फौजों ने क्या कार्य किया है ;

(ख) कहां कहां कार्य किया गया है ; और

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कितना रुपया व्यय करना पड़ा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). सायुध सेना के व्यक्तियों को सीधे सामुदायिक योजनाओं के सम्बन्ध में नहीं लगाया गया है ; परन्तु समय समय पर उनको विभिन्न प्रकार के कार्यों में नागरिक प्रशासन के लिये नियुक्त किया गया है । हाल के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :

(१) तुगभद्रा योजना के सम्बन्ध में कटारकी गांव का खाली करवाना ;

(२) राजस्थान में बीजों का प्रदर्शन करना; और

(३) मद्रास तट पर मछली पकड़ने वालों के जीवन को बचाना ।

नागरिक सरकार के लिये सैनिक सहायता की अभी हाल की घटना रोहतक में १३ जुलाई १९५३ की थी, जबकि जिला आयुक्त रोहतक की प्रार्थना पर दो ट्रेलर फायर पम्प

और दूसरा सामान एक इंजनीयरी दल के अधीन भेजा गया था, कि वे स्त्रियों के हस्पताल, और सरकारी कालेज, तथा नगर कुछ दूसरे क्षेत्रों के नीचे इलाके से पानी को बाहर निकालें, जो कि भारी वर्षाओं के कारण ५ फुट पानी के अन्दर थे। सामायिक सहायता के न मिलने से हस्पताल कालेज और संभवतः नगर के कई दूसरे निवास स्थान के क्षेत्र बाढ़ के कारण भीषण आपत्ति में आ जाते।

(ग) जब तक कि किसी विशिष्ट मामले में विशेष प्रबन्ध स्वीकृत नहीं होता, ऐसे मामलों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच खर्चे का हिस्सा बांटने के लिये विशाल सिद्धान्त यह है कि केवल अतिरिक्त खर्चा ही लिया जाय और सेवा करने वाले कर्मचारियों के साधारण वेतन, भत्ते और राशन के निमित्त तत्सम्बन्धी राज्य सरकार से कोई पुनरादान नहीं लिया जाना चाहिये केवल इस बात को छोड़ कर कि जब सैना की टुकड़ियां कार्य के लिये ही विशेष रूप से खड़ी की गई हों। ऊपर वर्णित मामले पर खर्च हुई रकम का विस्तार इस समय प्राप्त नहीं हो सकता।

भारत तथा अफ़्रीका का विनिमय बैंक

*३४२. **श्री के० जी० देशमुख :** वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत और अफ़्रीका के विनिमय बैंक की परिसमापन प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भारत सरकार के पास प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत तथा अफ़्रीका के विनिमय बैंक सीमित की परिसमापन प्रक्रियाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं।

विशेषज्ञों के लिये पारिश्रमिक

*३४३. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मंजूर की गई औद्योगिक योजनाओं की कुल संख्या क्या है, जिन में भारतीय फर्मों को शिल्पिक विशेषज्ञों के लिये विदेशी फर्मों को पारिश्रमिक देने पड़ते हैं?

(ख) १९५२-५३ में इस प्रकार दिये गये पारिश्रमिक की कुल क्या रकम थी?

(ग) पारिश्रमिक देने के लिये सामान्य शर्तें क्या हैं?

(घ) ऐसी योजनाओं में कुल कितना पूंजी लगा हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रखी जायगी।

(ख) १९५२-५३ में विदेशी कम्पनियों को पारिश्रमिक देने के कारण विदेशों को ३९·६५ लाख रुपये भेजे गये।

(ग) पारिश्रमिक के प्रत्येक मामले के गुणों पर विचार किया जाता है और प्रत्येक करार की शर्तें भिन्न भिन्न होती हैं। अतः ऐसे करारों की शर्तों के बारे में साधारण नियम बनाना संभव नहीं।

(घ) सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

संगीत और कला

*३४४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत और कला का विकास करने वाली संस्थाओं को उनके मंत्रालय ने वर्ष १९५२-५३ में किस प्रकार की सहायता दी है ; तथा

(ख) ऐसी संस्थाओं की संख्या क्या है तथा राज्यवार उनका विवरण किस प्रकार है?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सामान्यतः वित्तीय सहायता दी गई थी।

(ख) वर्ष १९५२-५३ में ऐसी आठ संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई थी। इन में से चार संस्थाएं दिल्ली में, एक एक उत्तर प्रदेश बम्बई तथा मद्रास में थीं। आठवीं संस्था नृत्य, नाटक और संगीत की राष्ट्रीय एकेडेमी थी।

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड

*३४५. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड की कितनी बैठकें हुई थीं ; तथा

(ख) उसकी सिफारिशें कहां तक कार्यान्वित की गई हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक।

(ख) जहां तक सम्भव हो सका।

तम्बाकू उगाने वाले

*३४६. **श्री एस० एन० दास:** (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या तम्बाकू उगाने वालों पर नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली के सम्बन्ध में गांव के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जैसा कि २० नवम्बर १९५२ को इस सदन में श्री के० आर० शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बतलाया गया था कि तम्बाकू उगाने वालों पर नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली से गांव के अधिकारियों का सम्बन्ध स्थापित करने की योजना के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार से गत अगस्त में बातचीत की गई थी। उस सरकार की सहमति से अब यह निश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में यह योजना प्रयोगात्मक रूप से कार्यान्वित की जाये तथा इस निश्चय को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट तारांकित प्रश्न संख्या, ५२६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में इस योजना की कुछ आवश्यक बातें भी बतला दी गई थीं। सदन की सुविधा के लिये मैं उनको यहां पर दोहराये देता हूं।

(१) तम्बाकू की खेती करने वालों को अपने आपको ग्राम पटवारियों के पास पंजीबद्ध करनां पड़ेगा ;

(२) फसल काटने के प्रयोगों को व्यवस्थित कर दिया जायेगा; तथा

(३) तम्बाकू को खेती करने वालों के वक्तव्यों का सत्यापन केन्द्रीय उत्पादन निरीक्षक द्वारा जहां तक सम्भव होगा, गांव के पंच, मुखिया या अन्य सम्मानित व्यक्ति की उपस्थति में किया जायेगा।

योजना की मोटी मोटी बातों का एक ब्योरेवार विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

राष्ट्रीय निदर्शन आपरीक्षण

*३४७. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक राष्ट्रीय निदर्शन आपरीक्षण पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्था तथा गोखले इन्सीट्यूट के बीच उक्त आपरीक्षण के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले तरीकों तथा दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में मतभेद है।

(ग) अब तक विभिन्न विभागों से संलग्न सांख्यिकीय विशेषज्ञों की सेवाओं को उक्त

आपरीक्षण के सम्बन्ध में कहां तक प्रयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) ३१ मार्च, १९५३ तक राष्ट्रीय निदर्शन आपरीक्षण पर लगभग ७४,५८,००० रुपया व्यय किया जा चुका है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) आपरीक्षण, मंत्रि मंडल के सांख्यिकीय सलाहकार की देख रेख में किया जा रहा है । विभागीय सांख्यिकों की कमेटी द्वारा आपरीक्षण की योजना स्वीकार कर ली गई थी । केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था इस आपरीक्षण में भाग ले रही है तथा जब कभी आवश्यक होता है विभिन्न मंत्रालयों से संलग्न सांख्यिकीय विशेषज्ञों से सलाह ले ली जाती है ।

आलू की फसल

***३४८. श्री सर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) क्या १९४४–४५ में नीमाटी (जोरहाट, आसाम) में चांदमारी (सेना द्वारा) द्वारा किसानों की आलू की फ़स्ल नष्ट कर दी गई थी तथा (२) क्या सरकार ने उसके लिये हर्जाना देना स्वीकार कर लिया था ;

(ख) क्या सरकार ने सम्बन्धित किसानों को कुछ हर्जाना देने का निश्चय कर लिया था तथा उनसे "स्वीकृति घोषणा फ़ार्मों" पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा था तथा किसानों ने उक्त फ़ार्मों पर नवम्बर, १९५२ में ही हस्ताक्षर कर दिये थे ; तथा

(ग) जिन किसानों ने "स्वीकृति घोषणा फ़ार्मों" पर हस्ताक्षर कर दिये थे उन्हें अभी तक हर्जाना न देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) (१) तथा (२) जी हां ।

(ख) जी हां । सरकार ने १९ व्यक्तियों को हर्जाना देने का निश्चय किया था और उनसे 'स्वीकृति घोषणा फ़ार्मों' पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा गया था । केवल १६ व्यक्तियों ने 'स्वीकृति घोशणा फ़ार्मों' पर हस्ताक्षर किये थे तथा ३ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था ।

(ग) जिन व्यक्तियों ने "स्वीकृति घोषणा फ़ार्मों" पर हस्ताक्षर किये थे उन्हें हर्जाना दे दिया गया है ।

कृषि सम्बन्धी ऋण

***३४९. श्री दशरथ देब :** (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के किसानों को दिये जाने वाले कृषि ऋण के बारे में न्यूनतम और अधिकतम सीमा सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १६९८ के सम्बन्ध में २९ अप्रैल, १९५३ को दिये गये उत्तर में राज्य मंत्री ने जिस सूचना के देने का वचन दिया था क्या वह संग्रह कर ली गई है ?

(ख) यदि हां, तो उस वक्तव्य के अनुसार कितने मामलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा कृषि ऋण दिये गये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) तारांकित प्रश्न संख्या १६९८ में पूछी गई सूचना इस प्रकार है :

(१) कृषि ऋण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या ।	२५,७६८
(२) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें ऋण दिया गया ।	१,३८८

प्रश्न संख्या १६९८ में दिये जाने वाले ऋणों की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा नहीं पूछी गई थी फिर भी, वास्तव में

दी गई राशि १०० से १००० रुपये के बीच में थी ।

जस्ता (स्पेल्टर) कमेटी

*३५०. **श्री बुच्चिकोटैय्या : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जस्ता (स्पैल्टर) कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : जी हां । सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

पौंड पावना समझौते

*३५१. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पौंड पावने के देने के सम्बन्ध में जुलाई, १९५३ में भारत और ब्रिटेन के बीच हुये समझौते की मुख्य शर्तें क्या है ;

(ख) इस सामझौते की कालावधि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसी ५ अगस्त को सदन पटल पर रखी गई समझौते की एक प्रति की ओर आकर्षित करता हूं । सदन के पुस्तकालय में प्रतियां उपलब्ध हैं ।

अजन्ता तथा इलौरा गुफायें

*३५२. **श्री मुनिस्वामी : शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अजन्ता तथा इलौरा गुफाओं के रंगीन चित्रों तथा मूर्तियों के फोटो लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : गुफाओं के चित्रों तथा मूर्तियों की फ़िल्में बनाने तथा/या उनके फोटो लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

सामान्य निर्वाचन

*१७४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक:** क्या **विधि** मंत्री ५, मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ तथा उसी के सम्बन्ध में उठाये गये अनुपूरक प्रश्न का निदश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने तब से अब तक १९५१ में हुये सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न मदों के अन्तर्गत रिपोर्ट तैयार कर ली है ;

(ख) क्या सामान्य निर्वाचन तथा समय समय पर होने वाले उपनिर्वाचनों के सम्बन्ध में कोई संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की गई है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो सरकार आयोग से ऐसा कब तक करने के लिए कहने का विचार रखती है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है

(ख) तथा (ग). न तो गत सामान्य निर्वाचन, न ही उपनिर्वाचनों के सम्बन्ध में कोई संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित करने का विचार है ।

राष्ट्रीय बचत सर्टीफ़िकेट्स

१७५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ वर्षों में प्रत्येक राज्य में कितनी राशि के राष्ट्रीय बचत सर्टीफिकेट्स भुना लिये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]**

पुनर्वास वित्त प्रशासन

१७६. श्री वी० पी० नायर : क्या **वित्त** मंत्री सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बातें दी हों :

(१) पुनर्वास वित्त प्रशासन में ५०० रुपये प्रति मास या उस से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के नाम ;

(२) जिस तिथि से ऐसे प्रत्येक अधिकारी ने ५०० रुपये या इससे अधिक वेतन पाना आरम्भ किया ;

(३) पुनर्वास वित्त प्रशासन में नौकरी आरम्भ करने से पूर्व उन में से प्रत्येक का पद तथा वेतन; तथा

(४) उनका वतमान वेतन ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : पुनर्वास वित्त प्रशासन में ५०० रुपये प्रति-मास या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

पुनर्वास वित्त प्रशासन

***१७७. श्री वी० पी० नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५३ को पुनर्वास वित्त प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ;

(ख) पुनर्वास वित्त प्रशासन में कर्मचारियों की भर्ती सेवा-योजनालयों या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं द्वारा चुने जाने के पश्चात् नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या ;

(घ) क्या पुनर्वास वित्त प्रशासन अपने यहां खाली होने वाले स्थानों के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है ; तथा

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) १ जुलाई, १९५३ को पुनर्वास वित्त मंत्रालय में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या ६३५ थी जिनमें से १५१ चौथी श्रेणी के कर्मचारी थे।

(ख) मार्च, १९५१ तक प्रशासन की सामान्य नीति यह थी कि वह अपने यहां पंजीबद्ध उम्मीदवारों में से चुनाव कर लेता था। तब से खाली होने वाले समस्त स्थानों की सूचना सेवा योजनालयों को दे दी जाती है तथा साधारणतः उनके द्वारा भेजे गये व्यक्तियों में से ही चुनाव किया जाता है। फिर भी, कुछ मामलों में जब उनके द्वारा भेजे गय व्यक्ति उचित नहीं पाये जाते तो उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाता है जिन्होंने सीधा प्रार्थनापत्र भेजा होता है। शाखाओं में भी स्थान भरने के लिये इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता है।

(ग) सेवा योजनालयों द्वारा भेजे गये व्यक्तियों में से लगभग १६० स्थानों के लिये व्यक्ति चुने गये हैं।

(घ) उच्च श्रेणियों में खाली होने वाले स्थानों, जैसे पेशगी देने वाले अधीक्षक, मुख्य लेखापाल, आदि के लिये समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(ङ) क्योंकि भर्ती सामान्यतः सेवा योजनालयों द्वारा की जाती है इसलिये साधारणतः विज्ञापन प्रकाशित करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

पैप्सू में लगान की वसूली

१७८. श्री पुन्नूस : (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति राज के प्रस्तुत होने के समय से ३० अप्रैल, १९५३ तक पेप्सू के विभिन्न ज़िलों में कितना बक़ाया लगान, ज़िलेवार वसूल किया गया है ?

(ख) इस में से कितना नक़दी में वसूल किया गया है तथा कितना वस्तुओं के रूप में है ?

(ग) बक़ाया लगान की वसूली के सिलसिले में कितने मामलों में लोगों की गिरफ्तारी की गई अथवा सम्पत्ति ज़ब्त की गई ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) कुल ३,९३,४८० रुपया वसूल किया गया है ।

ज़िलेवार वसूली के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	रुपये
पटियाला	१३,८९०
बरनाला	१,०१,२४१
संगरूर	१,५२,५२२
महेन्द्रगढ़	३,४८९
कपूर्थला	२,८५३
कोहिस्तान	८१,२९४
फ़तेहगढ़ साहिब	२,७९२
भटिंडा	३५,३९९

(ख) सारी राशि नक़दी में वसूल हुई है ।

(ग) कोई भी नहीं ।

शिक्षा विकास योजना

१७९. चौ० रघुवीर सिंह : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पंचवर्षीय शिक्षा विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को विभिन्न संस्थाओं की स्थापना तथा विकास के लिये अनुदान दिये जाते हैं ?

(ख) उत्तर प्रदेश को इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी जाती है ?

(ग) उत्तर प्रदेश में यह अनुदान दने के लिये किन संस्थाओं को चुन लिया जाता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४**]

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में योजनायें

१८०. प्रो० डी० सी० शर्मा : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिये किन स्थापत्य सार्थों अथवा स्थापतियों ने योजनायें बनाई हैं ?

(ख) यह इमारतें किस ढंग की हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ख) आधुनिक कार्यात्मक प्रकार की ।

सांस्कृतिक प्रतिनिधि

१८१. प्रो० डी० सी० शर्मा : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों में भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि रखे गये हैं ?

(ख) इन प्रतिनिधियों के कृत्य क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) रोम तथा काबुल में भारत के सांस्कृतिक सहचारी नियुक्त किये गये हैं। विदेशों में सभी भारतीय मिशन सांस्कृतिक कार्य करते हैं।

(ख) सांस्कृतिक सहचारियों का मुख्य कार्य कला प्रदर्शिनियों द्वारा, संगीत तथा नाटकीय प्रदर्शनों द्वारा, भाषणों तथा पुस्तकों के वितरण द्वारा और प्रकाशनों के अन्य साधनों द्वारा भारतीय संस्कृति को भली भांति समझने में सहायता देना है।

भंडार तथा उपकरण का क्रय

१८३. श्री एच० एन० मुकर्जी : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से प्रति वर्ष प्रतिरक्षी सेवाओं के अन्तर्गत भंडार तथा उपकरण खरीदने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) १९४७ से प्रति वर्ष विदेशों में भंडार तथा उपकरण के क्रय पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) १९४७ से प्रति वर्ष भारत में भंडार तथा उपकरण के क्रय पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; निम्नलिखित वस्तुओं के लिये अलग २ राशियां दी जायें : (१) सरकारी आर्डनेन्स फ़ैक्टरियों में तैयार की गई वस्तुयें, (२) सरकारी आर्डनेन्स फ़ैक्टरियों में तैयार की गई वस्तुओं को छोड़ कर भारत में बनी अन्य वस्तुओं तथा (३) विदेशों में आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया तैयार की गई वस्तुयें जिन्हें कि रक्षा मंत्रालय ने भारत में प्राप्त किया हो ; तथा

(घ) गत तीन वर्षों में भंडार तथा उपकरण के लिये आवंटित धनराशि में वृद्धि यदि कोई हो, के कारण क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग) तक। १९४८-४९ से लेकर १९५३-५४ तक के वर्षों के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटर पर रख दिया जाता है। वर्ष १९४७-४८ के विभाजनोत्तर काल के लिये आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]** सारे वर्ष के आंकड़े अविभाजित भारत के साढ़े चार महीनों के व्यय को तथा विभाजित भारत के साढ़े सात महीनों के व्यय को दर्शाते हैं तथा इस कारण से इनकी तुलना बाद के आंकड़ों के साथ नहीं की जा सकती है।

(घ) मुख्य कारण यह हैं :

(१) नौसेना तथा तथा वायु-सेना में विस्तार,

(२) युद्ध के लिये पहले इकट्ठे किये गये स्टाक की समाप्ति।

(३) पुरानी गाड़ियों का प्रतिस्थापन।

प्रतिरक्षा आर्डनेन्स तथा वस्त्र फैक्टरियाँ

१८४. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८ से ले कर १९५२-५३ तक के वर्षों में प्रति वर्ष रक्षा आर्डनेन्स तथा वस्त्र फ़ैक्टरियों पर कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) १९४७ से लेकर १९५३ तक के प्रति वर्ष में इन फ़ैक्टरियों में कितने कर्मचारी सेवायुक्त किये गये ;

(ग) इस काल में कर्मचारियों की संख्या में कमी, यदि कोई हो, के कारण क्या हैं ; तथा

(घ) इस काल में व्यय में वृद्धि, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क)

वर्ष	लाख रुपयों में
१९४७-४८ (युद्धोत्तर काल)	२४९
१९४८-४९	९१६
१९४९-५०	१५३२
१९५०-५१	१७४२
१९५१-५२	२१५४
१९५२-५३	२०९२

(ख)

१९४७	४०,५२४
१९४८	५१,४३६
१९४९	५७,२५१
१९५०	६५,६४५
१९५१	६८,८८९
१९५२	७०,६४०
१९५३	६९,६४१

(ग) १९५३ में श्रमिकों की संख्या में लगभग १००० की कमी को छोड़कर कोई भी कमी नहीं हुई है । इसका कारण यह है कि सेना ने अपने व्यादेशों में कुछ कमी की है ।

(घ) व्यय में वृद्धि के मुख्य कारण यह हैं: —

(१) देश के अन्दर युद्ध सम्बन्धी सामग्री का अधिकतर भाग तैयार करने के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि ।

(२) नई सामग्री, जो कि पहले आयात की जाती थी, तैयार करने के सिलसिले में प्रयोगात्मक कार्य पर व्यय ।

(३) नई फ़ैक्टरियों का खोलना तथा उन फ़ैक्टरियों को पुनः चालू करना जिन्हें कि पहले केवल संधारण के आधार पर रखा गया था ।

(४) कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि ।

(५) पुराने संयंत्र का प्रतिस्थापन तथा अभिनवीकरण ।

(६) वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार श्रमिकों के वेतन-दरों में संशोधन ।

बैंकिंग परिसमापन जांच समिति

१८५. श्री एस० सी० सामन्त: (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बैंकिंग परिसमापन जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करके कोई फ़ैसले किये गये हैं ?

(ख) यदि किये गये हैं, तो वह फ़ैसले क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने कुछ फेर बदल के साथ सामान्यतः यह सिफ़ारिशें मान ली हैं । राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वह अपने से सम्बन्धित उन सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करें जिन पर कि केवल शासकीय कार्यवाही करनी अपेक्षित है, जब कि उन सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में एक विधेयक संसद् में पेश करने का विचार है जिस के सम्बन्ध में कि विधान बनाना अपेक्षित है ।

सरकारी अधिकारियों का ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप जाना

१८६. श्री गोपाल राव: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, मई तथा जून १९५३ में क्रमशः कितने अधिकारी ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप को गये हैं, उनके नाम क्या हैं तथा पद क्या हैं ?

(ख) उनके जाने का उद्देश्य क्या था ; तथा

(ग) सरकार को उन में से प्रत्येक अधिकारी पर कितनी व्यय करना पड़ा है?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग) तक । सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

हीरे जवाहरात आदि

१८७. पंडित एम० बी० भार्गव : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन्ने के लिये किन किन क्षेत्रों में भूतत्वीय परिमाप किया गया है तथा इसके परिणाम क्या निकाले हैं ; तथा

(ख) १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में कितने तथा कितने मूल्य के पन्ने तथा अन्य क़ीमती पत्थर विदेशों को भेजे गये तथा किन किन देशों को भेजे गये ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) । एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७**]

फीरोजा

१८८. पंडित एम० बी० भार्गव : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में किन किन स्थानों पर फ़ीरोज़ा निकाला जाता है तथा १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में कितना तथा कितने मूल्य का फ़ीरोज़ा निकाला गया है ;

(ख) उक्त काल में सरकार तथा विभिन्न प्राइवेट अभिकरणों द्वारा कितना तथा कितने मूल्य का फ़ीरोजा उपयोग में लाया गया है ;

(ग) यह किस काम लाया गया ; तथा

(घ) उक्त वर्षों में कितना तथा कितने मूल्य का फ़ीरोज़ा भारत से बाहर भेजा गया ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) तक । मांगी गई सूचना देना लोक हित में नहीं है ।

सामुदायिक योजनाएं

१८९. श्री बाल्मीकि : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सेना-छात्रों द्वारा कहां कहां सामुदायिक योजना का कार्य किया गया है ;

(ख) कहां कहां रास्ते बनाए गये हैं;

(ग) वे रास्ते कितने लम्बे हैं ; और

(घ) कितनी लम्बी नालियां साफ की गई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (घ) तक । शायद माननीय सदस्य हाल ही में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के सेना छात्रों द्वारा किये गये सामाजिक कार्य की ओर निर्देश कर रहे हैं । सड़कों, नालियों आदि के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना के साथ साथ किये गए काम की एक सूची सदन पटल पर रख दी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८**]

मंहगाई भत्ता

१९०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १००० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का मंहगाई भत्ता बंद करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को लगभग कितनी बचत होगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मंहगाई भत्ता १ जून १९५३ से शुरू हो कर तीन प्रक्रमों में बन्द किया जा रहा है इस से लगभग यह बचत होगी :—

१९५३-५४ में	९·६ लाख रु०
१९५४-५५ में	२२·० लाख रु०
१९५५-५६ में	३४·५ लाख रु०
१९५६-५७ से आगे	३८·० लाख रु०

पुलिस

१९१. श्री के० सी० सोधिया : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन पुलिस (१) अधिकारियों तथा (२) जवानों की कुल संख्या क्या है जो कि केन्द्रीय सरकार ने १९५२-५३ में विदेशियों के पंजीकरण तथा उनकी निगरानी के लिए नियुक्त किये थे अथवा जिन्हें उस ने वेतन दिया था ?

(ख) इन पर कुल कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

(ग) इस वर्ष में कुल कितने विदेशियों पर निगरानी रखी गई ?

(घ) क्या इस पुलिस ने १९५२-५३ में विदेशियों की कुछ ऐसी गतिविधियों सरकार के ध्यान में लाईं जिन पर कि सरकार द्वारा विशेष कार्यवाही करना अपेक्षित था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):

(क) (१) १९२
(२) २४८ } इस में वह कर्मचारी वर्ग शामिल नहीं जो कि भारत तथा तिब्बत, नैपाल तथा पाकिस्तान की सीमाओं पर की निगरानी-चौकियों पर नियुक्त हैं ।

(ख) १३,४४,२९४ रुपये । (इस में विभिन्न राज्यों में विद्यमान क्लर्कों आदि का खर्चा भी शामिल है) ।

(ग) ३१ दिसम्बर १९५२ को भारत में रजिस्टर्ड विदेशियों की कुल संख्या ७८,३४९ थी । पुलिस को उनकी गतिविधियों पर आम निगरानी रखनी पड़ती है तथा यह देखना पड़ता है कि भारत में विदेशियों के प्रवेश तथा निवास से सम्बन्धित नियमों तथा विनियमों का उचित रूप से पालन किया जाता है ।

(घ) जी हां, जहां आवश्यक हो ।

त्रिपुरा में बीज का वितरण

१९२. श्री बीरेन दत्त : (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा में वहां के कृषि विभाग ने हाल ही में बीज का कोई वितरण किया है ?

(ख) यह बीज कितने व्यक्तियों में वितरित किया गया ?

(ग) वर्ष १९५३ में इस सहायता के परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है ?

गृह-कार्य तथा राज्यमंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां ।

(ख) ८७०

(गर्मियों की सब्जियों के बीज	६००
धान	२५८
पटसन	१२)

(ग)	धान	८७ टन
	पटसन	१६ गांठें

कोनापुर तथा मस्को में खुदाई कार्य

१९३. श्री मुनिस्वामी : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य के कोनापुर तथा मास्की स्थानों में हाल ही में किये गये खुदाई कार्यों से किन किन बातों का पता लगा है ; तथा

(ख) क्या इन कार्यों से द्राविड़ सभ्यता तथा मोहनजोदड़ों की सभ्यता के बीच किसी स्थापित सम्बन्ध के विषय में कोई बात मालूम होती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा कोनापुर में किये गये खुदाई कार्य के समय बिना गढ़े हुए पत्थरों के तीन फर्श निकले। मास्की में कोई खुदाई कार्य नहीं किया गया था।

(ख) इन दोनों के बीच इस प्रकार के किसी स्थापित सम्बन्ध के विषय में कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

भरती करने वाले केन्द्रों में कमी

१९४. श्री रघुनाथ सिंह : (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मितव्ययता करने के निमित्त सेना के भरती करने वाले संगठन के प्रधान कार्यालय की संख्या में कमी कर दी गई है ?

(ख) यदि एसा है तो वे कौन कौन से केन्द्र हैं ?

(ग) इस कमी कर देने के कारण कितने व्यय की बचत होती है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इन खत्म कर दिये गये केन्द्रों के भूतपूर्व कर्मचारियों को कहीं और नौकरी दी गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) ये कार्यालय अम्बाला, अजमेर, पटना तथा नागपुर में थे।

(ग) १,८२,४६० रुपये प्रति वर्ष।

(घ) जी हां, जहां तक सम्भव हो सकता है।

सैनिक अस्पताल कल्याण सेवा निधि

१९५. श्री रघुनाथ सिंह : रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा जो कार्य किये जाते थे उनको आर्थिक सहायता देने के लिये सैनिक अस्पताल कल्याण सेवा निधि चलाई गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो अब तक इस निधि के लिये कितना धन दिया गया है ?

(ग) इन कार्यों पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, सैनिक अस्पतालों में पहिले की रेड क्रॉस कल्याण सेवा को चलाने के लिये।

(ख) ८०,००० रुपये जिसमें ३०,००० रुपये झण्डा दिवस निधि में से ५०,००० रुपये कैन्टीनों से होने वाले लाभ में से हैं।

(ग) अनुमानित व्यय लगभग ८०,००० रुपये प्रति वर्ष है।

किले

१९६. प्रो० डी० सी० शर्मा : (क) क्या प्रतिरक्षा मंत्री पंजाब, पेप्सू तथा हिमाचल प्रदेश में किलों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इनमें से कितने किले रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक ज़िले से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। शेष स्थानों में ३२ किले हैं।

(ख) दो।

जम्मू काश्मीर सड़क पर दुर्घटना

१९७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मई के तीसरे

सप्ताह में एक फौजी लारी एक गहरे खड्ड में गिर गई थी जिसके कारण २१ सैनिकों की मृत्यु हो गयी थी ;

(ख) यदि हां तो इस दुर्घटना के लिये कौन उत्तरदायी था ;

(ग) क्या इस विषय की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां तो उस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, किन्तु दुर्घटना १९५३ की मई के दूसरे सप्ताह में हुई।

(ख) से (घ) तक। जांच न्यायालय में कार्यवाही जारी है और उसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सोमवार,
१० अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, १० अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

काश्मीर की स्थिति के विषय में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान् जी, गत दो दिनों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कुछ घटनायें नाटकीय गति से घटी हैं। अतएव मैं कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिये, जो कि हमें ज्ञात हैं, सदन का कुछ समय लेने का साहस कर रहा हूं। न केवल इस सदन अपितु सारे देश ने इन घटनाओं को चिन्ता की दृष्टि से देखा होगा। जम्मू तथा काश्मीर राज्य हमारे लिये केवल एक ऐसा भूखण्ड ही नहीं रहा जो कि लगभग पौने छै वर्ष पूर्व भारत में सम्मिलित हो गया था, किन्तु यह हमारे उन आदर्शों तथा सिद्धान्तों का प्रतीक रहा है जिन के लिये हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन छिड़ा था और जिन्हें कि हमारे संविधान में पवित्र स्थान प्राप्त है। इन आदर्शों तथा सिद्धान्तों की साम्यता के कारण ही अक्तूबर १९४७ की घोर संकट की घड़ी में यह राज्य भारत के इस बृहत्तर परिवार में सम्मिलित हुआ। किन्तु इस संवैधानिक घटना के घटने से पहले इन आदर्शों तथा कतिपय अन्य सामान्य उद्देश्यों के प्रति निष्ठा के कारण जम्मू और काश्मीर का राष्ट्रीय आन्दोलन हमारे उस स्वाधीनता संग्राम का अंग बन चुका था जिस से इस देश के लोग अनुप्रेरित थे। काश्मीर राज्य में नेशनल कान्फ्रेंस ही हमारे इस संग्राम का प्रतिनिधित्व करती थी और वहां की जनता की आवाज़ को उठाती थी। इस प्रकार भारत के साथ राज्य का सम्बन्ध उस संवैधानिक सम्बन्ध से कहीं अधिक गहरा था जो उपर्युक्त रीति से सम्पन्न हुआ।

पिछले इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ है और हमने मिल कर कष्टों और परीक्षाओं का सामना किया है। इस राज्य के भारत संघ में सम्मिलित होने के समय ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उपयुक्त अवसर आने पर राज्य की जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेगी। यह सम्मिलन दोनों पक्षों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की ओर से बिना किसी मजबूरी के स्वतंत्र लोगों का स्वतंत्र मिलन था। आरम्भ से ही यह बात मान ली गई थी कि राज्य की विशेष स्थिति के कारण हमारे और उस के संवैधानिक सम्बन्धों में एक विशेष स्थिति का होना आवश्यक है। बाद में भारत गणराज्य के संविधान को अन्तिम रूप से तैयार करते समय यह विशेष स्थिति स्वीकार कर ली गई और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस स्थिति में कोई भी परिवर्तन या परिवर्द्धन करना उस राज्य की जनता की इच्छा पर, जिस का कि प्रतिनिधित्व वहां की संविधान सभा करती है, निर्भर होगा। सम्मिलन इन तीन विषयों के सम्बन्ध में हुआ था—विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। गत वर्ष एक करार भी हुआ था, जो कि दिल्ली करार के नाम से विदित है, इस में कतिपय परिणाम-जन्य तथा अन्तर्निहित शक्तियों की व्याख्या कर दी गई। परन्तु सम्मिलन के सारभूत विषय वही तीन रहे जिन का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

मैं ने इस बात का उल्लेख इस कारण किया है क्योंकि बहुत सी गड़बड़ इस मूल बात को भुला देने से हुई है कि हम सदा ही भारत संघ में काश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के समर्थक रहे हैं। कुछ लोगों ने "विलय" की बात कही है। निस्सन्देह, यह शब्द यहां बिलकुल अनुपयुक्त है। और जहां यह उक्त संवैधानिक स्थिति तथा हमारे वर्तमान करारों से परे है, वहां हमारी नीति तथा हमारे उन करारों के विरुद्ध भी है। कुछ अन्य लोग अधिक शिथिल सम्बन्ध के पक्ष में थे। किन्तु ऐसा सम्बन्ध भी हमारी उस मूल नीति के विरुद्ध होता जिस के बारे में हम बराबर एकमत रहे हैं और इस से कुछ भारी कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती थीं।

पिछले कुछ मासों में एक खेदजनक आन्दोलन ने इस मूल स्थिति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया और विशेष रूप से काश्मीर की घाटी में न केवल घबराहट को अपितु शक्तिशाली प्रति-क्रियाओं को भी जन्म दिया। काश्मीर और भारत की जनता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन का एक बड़ा कारण यह आन्दोलन भी था। दुर्भाग्यवश राज्य के कुछ व्यक्तियों पर इस आन्दोलन का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे उन आदर्शों तथा सिद्धान्तों की साम्यता को भूल गये, जिन के कारण काश्मीर और भारत एक दूसरे के इतने सन्निकट आए थे। इस से भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह थी कि इन लोगों ने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को, जो राज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन के माने हुए नेता तथा प्रधान मंत्री थे, गलत सलाह दी। शेख अब्दुल्ला के कुछ भाषणों में इस सलाह की झलक मिली और इस से राज्य के लोगों के मन में घबराहट पैदा हो गई। उन विध्वंसकारी तत्वों ने, जिन्हों ने कि वे सिद्धान्त स्वीकार नहीं किये थे जिन पर राज्य के लोकतंत्रात्मक आन्दोलन का विकास हुआ था, इस स्थिति से लाभ उठाया और राज्य को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न किया। एक ऐसे समय में जब कि राज्यव्यापी गम्भीर आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान देने तथा उन्हें हल करने की आवश्यकता थी, राज्य की सरकार में फूट पड़ गई और वह प्रभाव-शाली ढंग से अपना काय चला सकने में असमर्थ हो गई।

इस प्रकार एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे लोगों का झुकाव विध्वंसकारी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने लगा। इन घटनाओं से भारत सरकार का अत्यन्त चिन्तित होना स्वाभाविक था। किन्तु सलाह देने के अतिरिक्त वह राज्य की आन्तरिक व्यवस्था और प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। सलाह बार बार दी गई, किन्तु गत कुछ मासों में जिस एकता को धक्का लग चुका था, दुर्भाग्यवश वह उसे फिर से स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी।

लगभग दो सप्ताह पूर्व काश्मीर सरकार के दो मंत्री, बख्शी गुलाम मुहम्मद और मिर्जा अफजल बेग दिल्ली आये थे और उन्होंने हम से काफी देर तक सलाह मशवरा किया था। हम ने उन्हें आपसी मतभेद दूर करने और राज्य के उद्देश्यों तथा लक्ष्य को पूरा करने के लिये मिल कर काम करने की आवश्यकता समझायी। हम ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि हम राज्य की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हैं और भारत सरकार काश्मीर के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और राज्य सरकार को उन्हें स्वयं सुलझाना चाहिये। हम राज्य के विकास में धन तथा अन्य प्रकार से सहायता देने को उद्यत हैं और राज्य की सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था बने रहने के अभिलाषी हैं।

कुछ ही दिन पहले हमें सूचना मिली कि काश्मीर मंत्रिमण्डल में मतभेद और भी बढ़ गया है; यहां तक कि मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे का विरोध और आलोचना करना तथा भिन्न या विरोधी नीतियों का प्रतिपादन करना आरम्भ कर दिया है। मंत्रिमण्डल का बहुमत पुरानी नीतियों पर दृढ़ था। किन्तु एक मंत्री श्री बेग, शेख अब्दुल्ला द्वारा निरन्तर उकसाये जाने के कारण इन नीतियों का विरोध कर रहे थे। नेशनल कान्फ्रेंस की कार्यकारिणी का काफी बड़ा बहुमत मंत्रिमण्डल के बहुमत के साथ और प्रधान मंत्री के विरुद्ध था। आपस में मतभेद एकदम स्पष्ट हो चुका था और इस तरीके से सरकार का चलना असम्भव हो गया था।

जब हमें इस की सूचना दी गई और हमारी सलाह मांगी गई तो हम ने अनुरोध किया कि कुछ ऐसा मार्ग निकालना चाहिए कि मंत्रिमण्डल के सदस्य मिल कर सर्वसम्मत सिद्धान्तों और नीतियों के अनुसार कार्य कर सकें। यह उन का एक आन्तरिक मामला था और हम उस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। हम तो यही चाहते थे कि शासन शान्तिमय और प्रगतिशील हो और उसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। तीन दिन हुए हमें ज्ञात हुआ कि शेख अब्दुल्ला ने अपने एक मंत्री से त्याग पत्र मांगा और उसने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया। इस के बाद घटनायें तेजी से घटने लगीं। हमें उन की सूचना मिलती रही, किन्तु न हमारी सलाह मांगी गई और न दी गई। ७ अगस्त को मंत्रिमण्डल के बहुमत ने शेख अब्दुल्ला को एक ज्ञापन दिया जिस में बताया गया था कि मंत्रिमण्डल में विरोध प्रकट हो गया है और इस के कारण शासन प्रबन्ध बिगड़ता जा रहा हमारी सलाह का निरादर किया जा रहा है और मंत्रिमण्डल का वर्तमान रूप में कार्य करते रहना सम्भव नहीं है। उन्होंने यह ज्ञापन राज्य के अध्यक्ष (सदरे-रियासत) के पास भी भेज दिया।

८ अगस्त को सदरे-रियासत ने शेख अब्दुल्ला को बुलाया और मंत्रिमण्डल में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गहरे मतभेद पर अपनी चिन्ता प्रकट की। उन्होंने शेख़ अब्दुल्ला को यह समझाया कि अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिये उन्हें अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों में तुरन्त मेल जोल तथा उन के उद्देश्य में एकता स्थापित करनी चाहिये। शेख अब्दुल्ला इस बात का आश्वासन न दे सके कि वे मतभेद कैसे दूर करेंगे और आगे कैसे काम होगा। इस पर सदरे-रियासत ने सुझाव दिया कि शाम को उनके निवास-स्थान पर मन्त्रिमंडल की एक आवश्यक बैठक बुलाई जाये ताकि राज्य में एक स्थिर, एकमत और सुचारु सरकार कायम करने के बारे में मिलकर विचार किया जा सके। परन्तु शेख़ अब्दुल्ला राजी नहीं हुए। उसी दिन बाद में सदरे-रियासत ने शेख़ अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा जिसमें इन सब बातों को बताते हुए यह कहा कि इन हालतों में बाध्य होकर उन्हें इसी नतीजे पर पहुंचना पड़ा है कि वर्त्तमान मंत्रिमंडल अब कायम नहीं रह सकता। अतः उन्होंने इसे भंग कर देने का निश्चय किया है। इसे कार्यान्वित करने के लिए एक औपचारिक आदेश भी निकाला गया और उसकी एक प्रति शेख़ अब्दुल्ला को भेज दी गई। अपने पत्र के अन्त में सदरे-रियासत ने कहा: "मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि यह कार्यवाही करने में मुझे कितना दुःख हुआ; मगर राज्य की जनता के हितों की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य था और मेरे सामने दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। मुझे भरोसा है कि हम लोगों में एक दूसरे के प्रति जो आदर स्नेह है, इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

इसके बाद तुरन्त ही सदरे-रियासत ने बख़्शी गुलाम मुहम्मद को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमन्त्रण दिया। इसी के साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नये मंत्रिमंडल का कायम रहना राज्य की विधान सभा के होने वाले सत्र में उसके प्रति विश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर निर्भर होगा। बख़्शी गुलाम मुहम्मद ने निमन्त्रण को स्वीकार किया और राज्य के प्रधान मंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

मुझे शनिवार की रात ग्यारह बजे इनमें से कुछ घटनाओं की सूचना मिली। और सूचनायें रविवार को सवेरे मिलीं।

इस बीच शेख अब्दुल्ला गुलमर्ग चले गये। वास्तव में अन्तिम आदेश उन्हें गुलमर्ग में दिया गया। बाद में उन्हें और श्री बेग को नजरबन्द कर दिया गया। इस विषय म मुझे ठीक ठीक क़ागजात अभी नहीं मिले हैं परन्तु मैं समझता हूं कि यह राज्य में शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से किया गया है जो कि कई तरह से खतरे में पड़ गई थी।

कल प्रातःकाल शेख़ अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के समाचार फैलने के कुछ देर बाद श्रीनगर के कुछ हिस्सों से विरोध स्वरूप छोटे-छोटे जुलूस निकले और अमीरा कदल में, जो एक पुल है, जुलूस के लोग इकट्ठे हुए। कहीं कहीं जुलूस वालों ने हिंसात्मक रूप धारण किया और पुलिस तथा राष्ट्रीय रक्षा दल पर पत्थर फेंके। कहा जाता है कि आत्म रक्षा के लिए पुलिस को दो अवसरों पर गोली चलानी पड़ी। एक बार तीन गोलियां चलाई गई और दूसरी बार चार। कुल तीन व्यक्ति मरे और एक घायल हुआ। एक व्यक्ति के शव को सड़कों पर घुमाया गया।

चूंकि यह रविवार का दिन था, इसलिए दुकानें साधारणतया बन्द थीं और आने जाने में कोई रुकावट नहीं थी। किसी प्रकार की साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई।

जहां तक पता चला है, बाहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। शाम तक स्तिथि में काफी सुधार हो गया। कल रात तक ३५ गिरफ्तारियां हुईं।

भारतीय सेना के आदमियों ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। स्थिति का मुकाबला जम्मू और काश्मीर की पुलिस तथा राष्ट्रीय रक्षा दल ने किया। हां, एक जगह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक दल ने कार्यवाही की।

शेख अब्दुल्ला को ऊधमपुर ले जा कर वहां के रेस्ट हाउस में रखा गया है और उन के लिये सब तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

मेरे लिए यह बड़े दुःख की बात है कि बीस वर्ष के पुराने साथी शेख अब्दुल्ला का काश्मीर के दूसरे साथियों से झगड़ा हुआ और काश्मीर सरकार को उन्हें कुछ समय के लिए नजरबन्द करना पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह दौर भी खत्म हो जायेगा और काश्मीर के नेता उस सुन्दर और अभागी भूमि की सेवा के लिये परस्पर सहयोग से काम करेंगे।

कल रात नये प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने रेडियो पर एक लम्बा भाषण दिया जिसमें उन्होंने हाल की घटनाओं का उल्लेख किया और उन नीतियों पर भी प्रकाश डाला जिनका वे और उनकी सरकार अनुसरण करना चाहती हैं। मेरा निवेदन है कि सदन के सदस्य उस भाषण को पढ़ें।

मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि हम काश्मीर की इन घटनाओं को आंतरिक मामला समझते हैं। इसमें हमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये। बड़े बड़े मामलों के बारे में हमारी नीति वही है जो पहले थी और जो आश्वासन हमने दिये हैं उन पर हम जमें रहेंगे।

इस सदन के सदस्यों, समाचार पत्रों और देश तथा सर्वसाधारण से मैं हृदय से अपील करता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में पिछले दिनों जो एक के बाद दूसरी घटनायें हुई हैं उनके सम्बन्ध में वे सहिष्णुता और संयम से काम लें। हमें नवयुवक सदरे-रियासत और राज्य की सरकार तथा लोगों के साथ पूरी सहानुभूति रखनी चाहिये जो इस संकट का सामना कर रहे हैं और उनको यह विश्वास दिलाना चाहिये कि हम वहां सामान्य स्थिति लाने में तथा राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहने वाला प्रगतिशील शासन स्थापित करने में अपनी शक्ति भर सब तरह की सहायता देंगे।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं सदन पटल पर निम्नलिखित विवरण रखता हूं जिनमें विभिन्न सत्रों में दिये गये आश्वासनों, वचनों और वायदों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाई गई है :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २ ; लोक सभा का तृतीय सत्र, १९५३। **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १]**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ३ ; लोक सभा का द्वीतीय सत्र, १९५२। **[देखिये परिशिष्ठ ७ अनुबन्ध संख्या २]**

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ४ ; लोक सभा का प्रथम सत्र, १९५२।
[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ८ ; अन्तः कालीन संसद् का चतुर्थ सत्र, १९५१।
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ७ ; अन्तः कालीन संसद् का तृतीय सत्र, (द्वितीय भाग) १९५१
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ५ ; अन्तरकालीन संसद् का द्वितीय सत्र, १९५०।
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ८ ; अन्तः कालीन संसद् का प्रथम सत्र, १९५०
[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७]

औचित्य प्रश्न

उपाध्यक्ष महोदय : मैं औचित्य प्रश्न पर अपना विनिर्देश दे रहा हूं। ५ अगस्त १९५३ को प्रश्नों के घंटे के बाद श्री फ्रैंक एन्थनी ने सामान्य रूप से औचित्य प्रश्न उठाने तथा नियम २९१ के प्रवर्त्तन के बारे में एक औचित्य प्रश्न उठाया था। उस से एक दिन पहले, श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने एक प्रश्न उठाया था कि प्रश्नों के घंटे के बाद औचित्य प्रश्न या अन्य प्रश्न उठाना सामान्य प्रक्रिया है। स्पष्टतः वह एक औचित्य प्रश्न नहीं था और उसी प्रसंग में मैंने श्री फ्रैंक एन्थनी के औचित्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि औचित्य प्रश्न सदन में जो कार्यवाही चल रही हो उसके सम्बन्ध में होना चाहिये और नियम २९१ में 'किसी समय' शब्दों का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि उसका सम्बन्ध किसी भी विषय से है चाहे सदन उस पर विचार कर रहा हो या नहीं या वह सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला हो या नहीं। परन्तु मैंने कह दिया था कि यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इस मामल पर और विचार करूंगा। बाद में, श्री एन्थनी ने और कुछ अन्य सदस्यों ने इस मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए मेरे पास एक सूचना भेजी। चूंकि औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार प्रश्न नहीं होता इसलिए उसकी अनुमति नहीं दी गई। फिर भी मैंने ६ अगस्त १९५३ को इस मामले पर चर्चा करने के लिए हस्ताक्षर कर्त्ताओं को बुलाया। सदस्यों के विचार सुनने तथा इस मामले पर समय समय पर दिए गए विनिदशों की जांच करने के बाद, इन परिणामों पर पहुंचा गया है :

(१) औचित्य प्रश्न एक साधारण प्रक्रिया है, जिसको उठाने पर सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है। नियम २९१ का क्षेत्र असीमित नहीं है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सदस्य किसी समय उस विषय पर कोई भी औचित्य प्रश्न उठा सकता है जिस पर उस समय सदन विचार कर रहा हो परन्तु उसे ऐसा उसी समय करना चाहिये, उस विशेष कार्यवाही या विषय के समाप्त हो जाने पर नहीं।

(२) जहां तक सदन में व्यवस्था बनाये रखने या उसकी कार्यवाही को

नियमित रूप देने से सम्बन्धित किसी मामले का सवाल है, औचित्य प्रश्न मामले के विचारार्थ प्रस्तुत होने के तुरन्त बाद किसी समय भी उठाया जा सकता है चाहे उस समय सदन में कोई भी कार्यवाही चल रही हो या उसे उस समय उठाया जा सकता है जब कार्यक्रम का एक मद समाप्त हो गया हो और दूसरा आरम्भ किया जाने वाला हो ।

ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए सदस्यगण किसी भी समय औचित्य प्रश्न उठा सकते हैं परन्तु यह निश्चय करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अमुक प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और उस मामले में उसका निश्चय ही अन्तिम निश्चय होगा ।

आन्ध्र राज्य विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक विधेयक को, जिसमें आंध्र राज्य के बनाने, मैसूर राज्य के क्षे को बढ़ाने तथा मद्रास राज्य के क्षेत्र को कम करने व अन्य सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध है, पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं ।

सम्पदा शुल्क विधेयक--(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री सी० डी० देशमुख द्वारा १३ मई, १९५३ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा :

"कि सम्पदा शुल्क के आरोपण तथा संग्रह की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, उसके प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : प्रवर समिति से सम्पदा शुल्क विधेयक जिस रूप में आया है वह उस से काफी भिन्न है जिस रूप में उसे १९४८ में संविधान सभा (विधायिनी) में पुरःस्थापित किया गया था और जिस रूप में उसे इस सदन में गत अगस्त में पुरःस्थापित किया गया था ।

प्रवर समिति ने इसमें बहुत से परिवर्तन किये हैं; मुझे विश्वास है कि समिति ने जिन परिवर्तनों की सिफारिश की है वे लाभकारी हैं । फिर भी मेरा यह विचार है कि अभी इसमें बहुत कुछ परिवर्तन किये जाने की गुंजाइश है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक पर अपने दल के सदस्यों को स्वतन्त्र रूप से चर्चा करने और मत देने देगी क्योंकि इस विधेयक का सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है ।

गत ६ नवम्बर को इस विधेयक पर बोलते हुए मैंने पांच महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था । मुझे खेद है कि प्रवर समिति ने उन्हें नहीं माना है । मैं उन्हें फिर आपके सामने रखता हूं ।

पहली बात कुछ राज्यों के इस विधेयक के क्षेत्र से अलग रहने की है । मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे कौन कौन से राज्य हैं जो इस

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

[डा० लंका सुन्दरम्]

क्षेत्र में अभी नहीं आते । माननीय मंत्री इशारे से मुझे बता रहे हैं कि ऐसा राज्य केवल एक है । मैं चाहता हूं कि एक राज्य को भी विधेयक के क्षेत्र से बाहर नहीं रहने दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात संविधान के अनुच्छेद ३७० और जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बारे में थी ।

तीसरी बात इस विधेयक के अधीन कर या शुल्क की उपलब्धि के सम्बन्ध में है। वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वह निजी सम्पत्ति के संयुक्त स्कंध समवायों में परिवर्तन का स्वागत करेंगे । मैं इस प्रश्न को यहां फिर इस लिए उठा रहा हूं क्योंकि सम्पदा शुल्क की उपलब्धि का विषय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि वे किस ढंग से कार्य करेंगे जिस से कि योजना और विकास के इस युग में मृत्यु शुल्क के आरोपण से पूंजी निर्माण में कोई बाधा न पड़े ।

मुझे खेद है कि प्रवर समिति के परिश्रम के फलस्वरूप खंड १७ और ८१ के अधीन नियम बनाने के लिए जो निर्बाध और असीमित शक्तियां दी जायेंगीं उन के कारण उत्पन्न रोष को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है । मैं यह कहूंगा कि मेरे माननीय साथियों को किसी दल बन्दी का ध्यान न किये बिना इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह सम्पदा शुल्क विधेयक उत्पीड़न का एक साधन न बने अपितु इस का इस प्रकार प्रयोग किया जाय जिस से कि देश की आर्थिक अवस्था का विकास हो ।

श्री गाडगिल की यह बात बिल्कुल गलत है कि मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता । अतः कोई व्यक्ति यदि कोई दान दे तो वह सच्चा दान होना चाहिए । दूसरे शब्दों में राज्य को धर्मार्थ दिये गये दान को विनियमित करने का अधिकार है । मेरे विचार में यह एक प्रतिगामी पग है । किसी भी दान को चाहे वह किसी साम्प्रदायिक प्रयोजन के लिए या किसी विशेष समुदाय या वर्ग के लिए दिया गया हो, सारी जाति के लिए दान समझना चाहिए, क्योंकि वह समुदाय या वर्ग उस जाति का एक अंश ही होता है । मैं आशा करता हूं कि जब सदन खंड ९ और १० पर विचार करेगा, तो वह इस मामले पर भी ध्यान देगा ।

खंड ३१, ३२ और ३३ के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । मैं आशा करता हूं कि इन की चर्चा के समय इन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे । खंड ६१ और ६२ के बारे में भी बहुत से माननीय सदस्य चिन्तित हैं, क्योंकि ये कर-दाताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । जहां तक खंड ६१ का सम्बन्ध है, माननीय वित्त मंत्री को चाहिए कि वे एक बोर्ड या अपील न्यायाधिकरण बनायें जिस के सदस्य न्यायपालक सेवाओं से लिए गये हों । आय-कर प्रशासन के लिए ऐसा न्यायाधिकरण आवश्यक समझा गया था । सरकार को इस उदाहरण से सबक लेना चाहिए और इस विधेयक में भी न्यायाधिकरण स्थापित करने का उपबन्ध करना चाहिए ।

इस विधेयक से जो आय होगी, वह लगभग पुराने नमक कर अधिनियम द्वारा प्राप्त होने वाली आय के बराबर ही होगी किन्तु नमक कर कुछ कारणों से अप्रीति-

कर होगया था अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सम्पदा शुल्क विधेयक भी उसी प्रकार अप्रीतिकर न बन जाये। इस के लिए यह आवश्यक है कि इस विधेयक के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को और इन को लागू करने के तरीके को उचित रूप से विनियमित किया जाये। एक और बात की मुझे बहुत चिन्ता है और वह यह है कि इस विधेयक के फलस्वरूप मुकदमाबाज़ी बढ़ जाने की संभावना है। सरकार को मुकदमाबाज़ी को प्रोत्साहन नही देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कर अधिकारियों को निदेश जारी किये जायेंगे कि इस विधेयक को ऐसे प्रशासित किया जाये कि लोगों को कोई परेशानी न हो।

मैं माननीय मंत्री से एक आश्वासन लेना चाहूंगा और वह यह है कि यदि मथाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि करानुपात पहले ही अधिक है, उत्पादन करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है और पूंजी निर्माण में बाधाएं हैं तो वे करापात को कम करने लिए एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर): मेरे विचार में इस विधेयक में सब से अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि इस में मिताक्षरा विधि से शासित होने वाले नागरिकों और दायभाग विधि से शासित होने वाले नागरिकों के बीच विभेद किया गया है। अधिकांश नागरिकों को तो यह ज्ञात भी नहीं होगा कि वे किस विधि से शासित होते हैं। इस विभेद के कारण न केवल दायभाग वालों को बल्कि मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों को, जिन्हें दायभाग विधि से शासित होने वाले नागरिक समझा गया है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

मिताक्षरा वालों को जो सुविधा दी गई है, मैं उस के विरुद्ध नहीं हूं। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। किन्तु यह सुविधा या विशेषाधिकार आप दायभाग वालों या ईसाइयों, मुसलमानों, पारसियों और यहूदियों को क्यों नहीं देते। बंगाल, बिहार और आसाम के लोग दायभाग विधान से शासित होते हैं। ये सब लोग घाटे में रहेंगे। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि एक लौकिक राज्य में उन पुराने आधारों पर कर लगाया जाता है, जिन का लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं। क्या करारोपन के लिए एक ऐसा विधान बनाना संभव नहीं है, जो सब लोगों पर समान रूप से लागू हो? मेरे विचार में इस में कोई वास्तविक कठिनाई नहीं है। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि यह विधेयक सब लोगों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

एक और बात मैं दान के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्राचीन काल से इसे बहुत महत्त्व दिया जाता रहा है तथा परम्परा से यह इस देश का विशेष गुण रहा है। अतएव इस पर किसी प्रकार के निर्बन्धन लगाने से भारतीय भावना को ठेस पहुंचेगी। आखिर आप इस प्रकार की रुकावट क्यों लगाते हैं कि कोई व्यक्ति दान पुण्य को अपनी मृत्यु से केवल छः मास पहले ही कर सकता है? इस देश के बीसियों लोग उचित तथा अनुचित ढंग से पैसा पैदा करते हैं, फिर भी वे सार्वजनिक अभिप्रायों से दान करते हैं। क्या आप इस देश में दान के स्रोत को ही

[श्री सी० डी० पांडे]

सुखा देना चाहते हैं ? आप का करारोपण विभाग किसी भी समय मामले को आरम्भ कर सकता है तथा कह सकता है कि यह दान शुद्ध भावना से नहीं किया गया है । दान प्रत्येक अवस्था में दान ही समझा जाता है क्योंकि एक बार सार्वजनिक अभिप्राय से दिए जाने पर यह दान ही है ।

मेरा कहना यह है कि इस देश में दान पर तथा विशेषत: सार्वजनिक संस्थाओं को दिए गए दान पर किसी रुकावट को सहन नहीं किया जायगा । यदि मेरे पास ७० लाख रुपये हैं तो मुझे ७० लाख को दान में दे देने का अधिकार होना चाहिये । जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन कमा सकता है, उसे इसके किसी प्रकार से व्यय करने का भी अधिकार होना चाहिये ।

तीसरी बात मुझे मकानों को दी गई छूट के बारे में कहनी है । प्रत्येक व्यक्ति को मकान के बनाने का सुन्दर स्वप्न रहता है । परन्तु मकान बना कर भी कोई व्यक्ति शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं मर सकता । उसे आशंका लगी रहती है कि मरने के बाद उसके आश्रितों को वकीलों के पास मारे मारे दौड़ना होगा । यह मध्यम श्रेणी की कम आय वाले बेचारे व्यक्तियों का हाल है जिन्हें इतना पता तक नहीं कि किसी बीमे को वसूल कैसे किया जाता है । यदि आप धनी व्यक्तियों पर ऐसा कर लगायें तो मुझे उस से खेद नहीं होगा क्योंकि उन्हें वकीलों की सहायता सदैव ही प्राप्त हो सकती है । कोई व्यक्ति ८०,००० रु० की सम्पत्ति पर २,००० रु० का कर देने से बुरा नहीं मनाएगा । परन्तु जो बात चुभती है, वह यह है कि आप का विभाग मूल्य-निर्धारण के समय इसका अधिक मूल्य लगाएगा तथा अन्त में कुछ अधिक मूल्य को निर्धारित करेगा, आपको आयकर विभाग का हाल अच्छी प्रकार से मालूम ही है । ऐसी अवस्था में अंतर के थोड़ा होने से लोग अपील भी नहीं कर सकते । आप बिना उचित कारण के लोगों के धन को नहीं ले सकते, परन्तु अपील करने में इतनी परेशानी तथा खर्च होता है कि उसके मुकाबले में कष्ट का निवारण बहुत कम होता है । अपील करने से इतना धन प्राप्त नहीं होता जितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन अधिकरणों की व्यवस्था हम इस विधेयक में करने जा रहे हैं, वे न्यायाधिकरण होने चाहियें तथा यह काम केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को नहीं सौंपा जाना चाहिये । उक्त बोर्ड को अपील सम्बन्धी न्यायालय नहीं समझा जा सकता । इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम राजस्व का निर्धारण है तथा निर्धारित व्यक्तियों के प्रति न्याय नहीं । मेरा सुझाव है कि किसी न किसी क्रम पर आप कोई न्यायाधिकरण नियुक्त करें ताकि जिस व्यक्ति पर आप कर लगाते हैं, उसे इतना संतोष तो रहे कि उसने अपने कष्ट के निवारण के लिए देश के उच्चतम न्यायालय तक पहुंच कर ली है । यह संतोष बोर्ड से अपील करने पर प्राप्त नहीं होता ।

मैं इन चार बातों पर जोर देना चाहता हूं । एक तो यह है कि आप मिताक्षर तथा दाय भाग के विभेद को मिटा दें, दान पर किसी प्रकार की रुकावट को लूट न करें, छोटे मकानों को कर से छूट दें जिस से मध्यम श्रेणी के लोग भी अपना मकान बना सकें तथा चौथी बात यह है कि न्यायिक अधिकरणों की व्यवस्था करें

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : आसाम और बंगाल के लोग उन माननीय सदस्यों के आभारी हैं जो दायभाग के पक्ष में बोले हैं । हम लोग घरेलू विवाहित जीवन के सिद्धान्त के अनुयायी हैं । यदि इस विधि में इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता तो यह विधि हिन्दू जाति के प्रति घातक होगी । मृतकों के निवास स्थानों को, यदि वे संपदा शुल्क विधेयक के पारित करने के समय मृतकों के उत्तराधिकारियों के कब्जे में न हों, इस कर से मुक्त कर दिया जाना चाहिये । सम्पत्ति का मूल्य युद्ध के पूर्वकाल की तुलना में बहुत बढ़ चुका है तथा स्वभावत: मृतकों के बच्चों तथा विधवाओं को बहुत अधिक सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा । पिता द्वारा केवल मकान को छोड़ जाने पर पुत्र कर को कहां से देगा ? यदि उस के पास किसी और प्रकार की चल सम्पत्ति न हुई तो वह उस सम्पत्ति को बेचकर ही शुल्क दे सकेगा । इसका अर्थ यह होगा कि उसी घर को बेचना पड़ेगा जिसमें कि परिवार रहता है । उत्तराधिकारियों को घर से वंचित होना पड़ेगा । क्या माननीय मंत्री इस चित्र को अपने सामने लाए हैं ? यदि मामूली घरों को भी इसमें शामिल किया गया तो इससे लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जायगी । इन बेचारे लोगों पर शुल्क का लगाना बहुत बड़ा अत्याचार होगा ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : डकैती है ।

श्री आर० के० चौधरी : "डकैती तो अच्छी है । चले जाओ, मारो पीटो, कुछ मिले तो लेके चले आओ । लेकिन यह तो बहुत अफ़सोस की बात है कि गरीबों की तरफ बिल्कुल सहानुभूति नहीं दिखलाई जाती है । यह तो बड़े अफ़सोस की बात होगी कि एक गरीब आदमी है, जो कि छाबी लेकर बैठता है, वैल्यूएशन बढ़ाकर टैक्स लिया जाय और उस को रास्ते पर छोड़ दिया जाय । यह बड़े अफ़सोस की बात है ।

पूर्व वक्ताओं ने जनता के विभिन्न भागों में विभेद के बारे में कहा है । दायभाग तथा मिताक्षर के सिद्धान्त दो ऋषियों द्वारा बनाए गए थे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि एक ऋषि का सिद्धान्त तो आप स्वीकार कर लें, परन्तु दूसरे के सिद्धान्त को आप रद्द कर दें ?

श्रीमान् आय को व्यय का प्रतीक समझा जाता है । आयकर भी व्यय को देखकर लगा दिया जाता है । हिन्दू विधि के अन्तर्गत यदि इन दो पद्धतियों के विभेद को दूर करके उन्हें एक ही श्रेणी में रख दिया जाय तो मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी । इस प्रकार से यदि किसी पिता के चार पुत्र हों तथा उन चारों को छोड़ी गई सम्पत्ति का मालिक समझा जाय तो उन चारों के विषय में कर का निर्धारण किया जायगा । होना यह चाहिये कि यदि उन पर कर लग सके तो लगाया जाय तथा यदि न लगाया जा सके तो कर को न लगाया जाय ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : यह एक दुर्लभ अवसर है जिस पर हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं । मैं इस विधेयक को अपना पूरा पूरा समर्थन देना चाहता हूं तथा कुछ सदस्यों की विमति टिप्पणी से अपनी असहमति प्रकट करना चाहता हूं । श्री गाडगिल का सब से लम्बा भाषण आंशिक रूप में तो निपुणता प्रकट करता है, परन्तु इसका शेष भाग साधारण है ।

[श्री खर्डेकर]

प्रो० हिरेण मुकर्जी तथा श्री मोरे ने एक बहुत अच्छा सुझाव यह दिया है कि यदि आप जाल बिछाने जा रहे हैं तो इस प्रकार से बिछाइये कि कोई बड़ी मछली उस से न निकल जाय । अब इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जितनी बड़ी मछली होगी, उससे उतना ही अधिक तेल प्राप्त होगा तथा कार्यपालिका की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी ।

अब मैं महाराजा बीकानेर की विमति टिप्पणी में से कुछ बातों को लेना चाहता हूं । मैं उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण के पक्ष में हूं । महाराजा बीकानेर ने जीवन-स्तर को नीचे लाने की अपेक्षा ऊपर ले जाने का समर्थन किया है, परन्तु यदि हम नीचे लाने तथा ऊपर ले जाने के दोनों कार्य नहीं करते तो कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जो 'स्टीम रोलर' के समान सभी बातों को समतल बना देगी। अतएव मेरे विचार से महाराजा ने इस विधेयक के मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार नहीं किया । परिस्थिति यह नहीं कि इस विधयक से जनता को इतना धन मिलेगा, परन्तु यह है कि आज जनता में इस बात से निराशा फैली है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है । जिस व्यक्ति के पास बाईसाईकिल तक न हो, उसमें उन लोगों के प्रति ईर्षा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिन के पास कई कई कारें होती हैं ।

महाराजा बीकानेर ने सरकार को मन्द गति से चलने का परामर्श दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे । सम्भवतः उनका विचार यह है कि यदि हम ब्रिटेन की नकल करते हुए कार्य करें तो वह चाहेंगे कि सर्वप्रथम हम उन परिस्थितियों में से निकलें जिन में से ब्रिटेन को पिछली तीन या चार शताब्दियों में से निकलना पड़ा था । उन्होंने जीवन-स्तर को ५ लाख रु० पर निश्चित करने का मत प्रकट किया है जो कुछ विचित्र सा जान पड़ता है । इस के बाद उन्होंने जीवन-स्तर को उच्च करने के बारे में कहा है तथा यह मत प्रकट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मोटर कार होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसी व्यक्ति आदर्शवादी तो हो सकता है, परन्तु इस प्रकार के विधेयक पर नहीं बोल सकता ।

अब मैं अपने मित्र श्री तुलसी दास किलाचन्द की बात को लेता हूं । उनका प्रेम इसलिये है कि वह घृणा करना चाहते हैं । उन्होंने परिवार की परम्परा का वर्णन किया है, परन्तु मैं इसे इतना महत्त्व नहीं देना चाहता । व्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

दान के बारे में भी बहुत प्रभावशाली भाषण दिए गए हैं, साम्यवादी मित्रों तक ने पांच वर्ष के समय को देने के लिए कहा है । मेरा कहना है कि आप दान की प्रथा को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न अवश्य करें । चाहे कोई व्यक्ति दान न भी देना चाहे तो भी एकाएक वह राष्ट्र से धोखा कर सकेगा । देश के प्रति यह प्रेम नहीं हो सकता । इसका अर्थ है कि उसे सरकार में विश्वास नहीं है, परन्तु कोई भी सरकार त्रुटियों से रहित नहीं हो सकती तथा प्रत्येक सरकार लोकप्रिय तो होती ही है तथा सुधरने का प्रयत्न करती ही रहती है । कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास करे कि सरकार उसकी सम्पत्ति का ठीक ठीक वितरण नहीं करेगी । अतएव मेरा कहना है कि सरकार को दान की प्रथा बन्द

कर देनी चाहिये तथा लोगों की भलाई के लिए जो कुछ आवश्यक हो, उसका वितरण करना चाहिये।

एक और आपत्ति इस विधेयक पर उन चिन्तित माता-पिताओं की ओर से उठाई जाती है जो अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से पालने के लिए अपने पीछे काफी धन छोड़ कर जाना चाहते हैं। इस कारण वे इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु मेरे विचार से ऐसा करने से सन्तान में आगे बढ़ने तथा वीरता के काम करने की भावना पैदा नहीं होगी। सर्वोत्तम उत्तराधिकार जो आप छोड़ सकते हैं, वह यह है कि आप अपने बच्चों को स्वयं उनके पैरों पर खड़ा कर दें।

मैं समझता हूं कि धनी व्यक्तियों को भी सरकार को बधाई देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जो सम्पत्ति सरकार को प्राप्त होगी, उसका उचित रीति से वितरण होगा तथा जिन के पास अच्छा रहने के साधन हैं, उन्हें दुर्दशा में नहीं रहने दिया जायगा। आखिर दार्शनिक दृष्टि से भी जब हम इस संसार में आते हैं तो कुछ साथ नहीं लाते तथा जब जाते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते। तो फिर हम अपने जीवन को इस प्रकार से क्यों न बिताएं कि अन्त में लोगों की भलाई के लिये कुछ करते जायं।

न्याय का अनुरोध है कि आप निर्धन व्यक्तियों की कुछ सहायता करें तथा उसके लिए यदि धनियों को कुछ त्याग भी करना पड़े तो किया जाय। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा "आप राष्ट्र को इस विधेयक का अच्छा उपहार दे सकते हैं"। हम आशा करते हैं कि इस राशि को प्रशासन के गढ़े में ही नहीं फेंक दिया जायगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा विधेयक के मूल उद्देश्यों की सराहना करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें यह न भूलना चाहिए कि यह विधेयक भारत में समस्त श्रेणियों के व्यक्तियों में धन का समान वितरण करने में अपर्याप्त है।

यदि आप इंगलैंड का इतिहास उठा कर देखें तो आपको विदित होगा कि धन के समान वितरण की समस्या उत्तराधिकार कर कैसे नहीं सुलझा सके हैं। वहां देखने में आता है कि उत्तराधिकार के लागू होने के पश्चात् भी समानीकरण प्रक्रिया बड़ी धीमी रही है। संयुक्त राज्य अमरीका में भी ऐसा ही हुआ है। अतः यदि आप यह आशा करें कि यह विधेयक क्रान्तिकारी तथा बड़ा ही कठोर होगा तो बड़ी भूल करेंगे।

मुख्य समस्या जिसका मैं निर्देश करना चाहता हूं वह उत्तराधिकार की है जो इस झगड़े की जड़ है। हमारे देश में असमान आयों के अत्यधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक उत्तराधिकार का चलन है। यद्यपि आजकल यह धन-संग्रह करने का एक साधन है तथापि दीर्घकाल में सामाजिक असमानताओं का यही उत्तरदायी रहा है। राजनीतिक क्षेत्रों से हम वंशागत सिद्धान्त को पहले ही मिटा चुके हैं परन्तु आर्थिक क्षेत्रों में इसे हम अब भी अपनाये हुए हैं। इससे मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उत्तराधिकार का चलन पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये। परन्तु फिर भी मेरा यह सुझाव है कि इस प्रश्न पर फिर आरम्भ से विचार किया जाये।

स्वर्गवासी व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर लगाने में जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उन के संबन्ध में ख्याति प्राप्त अर्थ

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

शास्त्रियों ने अनेकों सिद्धान्तों की व्याख्या की है। प्रोफैसर अल्टन ने इस सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त बताये हैं। पहिला स्वर्गवासी व्यक्ति की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर उसके अनुसार कर लगाना अर्थात बड़ी सम्पत्ति पर अनुपाततः अधिक कर लगाना; दूसरा धन लगाने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त धन पर धन राशि के अनुसार कर लगाना; और तीसरा उत्तराधिकारी तथा स्वर्गवासी के सम्बन्ध के अनुसार कर लगाना अर्थात पास के सम्बन्धी पर थोड़ा और दूर के सम्बन्धी पर अधिक कर लगाना। प्रो० रिगनानू ने एक अन्य सिद्धान्त की व्याख्या की है कि इन सब उत्तराधिकार करों के लगाने का सर्वोत्तम सिद्धान्त यह है कि समय को ध्यान में रखा जाये अर्थात समय के साथ साथ कर भी बढ़ता रहे और पौत की मृत्यु के पश्चात सम्पत्ति राज्य को चली जानी चाहिए। उसने फिर कहा है कि यह एक आदर्श सिद्धान्त है यद्यपि इससे असमानता की सारी समस्यायें नहीं सुलझ सकेंगी।

मृत्य-कर की अनेकों कड़ी आलोचनायें की गई हैं। व्यक्तियों का यह मत प्रतीत होता है कि यह बचत तथा कार्य को निरुत्साह करेगा। परन्तु यह एक बड़ा ही गलत विचार है। यह जानकर मनुष्य कि वह पूर्णतः पैतृक सम्पत्ति पर निर्भर नहीं रह सकता, वह स्वयं अपनी सम्पत्ति उत्पन्न करने का निश्चय करेगा। अतः इस से धन-संग्रह को प्रोत्साहन ही मिलेगा। यदि यह तर्क स्वीकार कर भी लिया जाये कि सम्पत्ति शुल्क से व्यक्तियों में व्यय करने की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा, तब भी इस से अन्त में समाज को लाभ ही होगा।

एक बात और है कि यह उत्पादन को निरुत्साहित नहीं करेगा। संसार के किसी भी देश में सम्पदा शुल्क के परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी नहीं हुई है अपितु वृद्धि ही हुई है। विधेयक की बहुत से संसत्सदस्यों ने और भी आलोचनायें की हैं। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि वर्णित छूट-सीमा संतोषजनक नहीं है और सीमा अधिक होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सीमा दी गई है वह काफी अच्छी तथा उचित है। इस बारे में हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अपितु हमें तो प्रवर समिति का कृतज्ञ होना चाहिये कि उस ने इस सीमा को और नहीं घटाया है।

देश में आयों में असमानता की समस्या को सुलझाना, किसी सीमा तक, इस विधेयक की सफलता पर निर्भर है जो स्वयं कर लगाने की दर पर निर्भर है। कर की दर ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य धन के उत्तराधिकार का विश्वास हो। न हो धन का असमान संग्रह हो और न ही निर्धनता। यदि इस उद्देश्य और विधेयक के सिद्धान्तों को कठोरता से लागू किया जाये, तो मेरा विचार है, हम असमानता की बुराई को किसी सीमा तक समाप्त कर सकते हैं।

दूसरी बात जिस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि विधेयक में अपील करने की व्यवस्था है। निष्पक्ष निर्णय पाने की दृष्टि से हमारा विचार है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक अधिकरण स्थापित किया जाये। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है और मेरा विचार है कि इसे स्वीकार करने में माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

भारत में सम्पदा शुल्क से ही समस्या हल नहीं हो सकती। उत्तराधिकार पर

और भी शुल्कें होनी चाहिए और राजसात्करण करने के नियम का प्रसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां तक सम्भव हो हमें दूर के सम्बन्धियों द्वारा स्वर्गवासी व्यक्ति की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार समाप्त करना चाहिए और इस के लिए सरकार को सम्पदा शुल्क के अतिरिक्त और कार्यवाही करनी होगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): कुछ भागों में कहा गया है कि उचित समाज में अधिकतम आय न्यूनतम आय की ४० गुनी से अधिक न हो। परन्तु हम देखते हैं कि भारत में न्यूनतम आय ३० रु० है जब कि निजाम की आय—अधिकतम आय—३ करोड़ रु० है। इसका कारण है पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होना। मैं इस मत से भी सहमत नहीं हूं कि इस विधेयक से धन का समाजीकरण होगा क्योंकि अन्य देशों के अनुभवों से ऐसा विदित नहीं होता। परन्तु मैं यह विश्वास करता हूं कि इस विधेयक का एक परिणाम यह होगा कि व्यक्ति पैतृक सम्पत्ति पर निर्भर न रह कर स्वयं भी काम करेगा।

मैं विधेयक के खण्ड ५ के बारे में जिस में विधेयक के लागू होने के बारे में कहा गया, कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि दो को छोड़कर अन्य समस्त राज्यों ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किये हैं और संशोधन रखे जायेंगे। प्रस्ताव पारित न करने वाले दो राज्य पश्चिमी बंगाल तथा त्रावणकोर-कोचीन हैं। पर मुझे आशा है कि ये भी शीघ्र प्रस्ताव पारित कर देंगे। क्योंकि मैं इस बात का इच्छुक हूं कि विभिन्न राज्यों में कर लगाने में विभिन्नता न हो।

दायभाग क्षेत्र के मेरे माननीय मित्रों ने बताया है कि विभिन्नता रखने वाला खण्ड ३१ दायभाग नियम को मानने वाले व्यक्तियों पर प्रहार करता है। क्या मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है; सदैव जीवित कोई नहीं रहता। मैं उन से वर्तमान नियम पर विचार करने का निवेदन करता हूं। मेरा विचार है कि इस खण्ड में परिवर्तन करने का प्रयत्न इसे उत्तमतर नहीं बनायेगा अपितु इसे बिगाड़ देगा। अतः मैं आशा करता हूं कि इस खण्ड का मुख्य सिद्धान्त सदन को स्वीकार्य होगा।

कुछ दिनों पूर्व वित्त मंत्री ने बताया था कि विधेयक के खंड ३२—छूट—के ५९, खंड ९ के ३७, तथा खण्ड ३० के २८ संशोधन रखे गये हैं। छूट संबंधी खण्ड के संशोधन बड़े ही रुचिकर हैं। एक संशोधन में कहा गया है:—

> "परन्तु जिसमें कोई बहुमूल्य या अर्धबहुमूल्य पत्थर या आभूषण, जो पहनने के कपड़ों में लगाये गये या सिये गये हों, सम्मिलित नहीं हैं" के लिए

स्थापन्न कर दिया जाये :

> "मूल्य में पांच हजार रुपये की सीमा तक।"

इस संशोधन से मुझे आश्चर्य हुआ और नहीं जानता कि यह कितने व्यक्तियों पर लागू होगा।

कुछ व्यक्ति यदि अपने जीवन में नहीं तो मृत्यु के समय दान देना चाहते हैं और मेरा विचार है कि सरकार को चाहिए कि वह दान देने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे।

किसी व्यक्ति के पास चाहे करोड़ों रुपये हों या एक लाख वह केवल २५०

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

रुपये ही दान में दे सकता है। यह बहुत कम है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वैसा संशोधन स्वीकार कर ले जो कि हाल ही में आय कर अधिनियम में स्वीकार किया गया था अर्थात् दान की सीमा कुल आय का ५ प्रतिशत हो। इसी प्रकार यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि लोग मृत्यु से पहले अपनी सम्पत्ति का बीसवां भाग दान में दे सकते हैं।

मकान के सम्बन्ध में जहां तक विमुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में मकान के मूल्य की कोई उचित सीमा २५,००० या ३०,००० रुपये तक निश्चित की जानी चाहिए। खंड ३२ के अधीन यह विमुक्ति तो दी ही जानी चाहिए।

अब मैं भेंटों के सम्बन्ध में खण्ड ९ पर आता हूं। इस खण्ड के अधीन मृत्यु से दो वर्ष पहले तक के समय में दी गई भेंट भी प्रामाणिक नहीं मानी जायगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से दस या पंद्रह वर्ष पहले कोई सम्पत्ति किसी को भेंट में दी थी। सम्पदा शुल्क अधिकारी यह सोच सकते हैं कि यह भेंट प्रामाणिक नहीं थी। इस का फल यह होगा कि चाहे यह सम्पत्ति कई आदमियों के हाथ से गुज़र चुकी हो, उसके प्रश्न पर फिर विचार किया जा सकेगा। इस प्रकार दो वर्ष की यह कालावधि अन्तिम नहीं है मेरे विचार में यह ठीक नहीं है और सदन को इस खण्ड में ऐसे संशोधन करने चाहिए जिससे कि साफ नियत से भेंट देने वालों की रक्षा की जा सके।

मैं उत्तराधिकारी की मृत्यु पर सम्पदा शुल्क में विमुक्ति सम्बन्धी खण्ड के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि उत्तराधिकारी की मृत्यु एक वर्ष के भीतर होने की दशा में उसे सम्पदा शुल्क में ५० प्रतिशत छूट मिलेगी, फिर भी इस से बड़ी कठिनाई होगी। दक्षिण अमरीका, अमरीका तथा जापान में दूसरी मृत्यु यदि क्रमशः दस, पांच और पांच वर्ष से पहले हो जाये तो सम्पदा शुल्क नहीं लिया जाता। भारत में जहां औसत आयु २७ या २८ वर्ष है, यह बात बहुत बुरी है। इस लिए मेरे विचार में यह खण्ड प्रस्तुत रूप में तो पास ही नहीं होना चाहिए।

मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि इस से हमारे देश का सामाजिक ढांचा सुधारने में सहायता मिलेगी।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि मिताक्षर तथा दायभाग प्रणालियों के आधारों के अन्तर को इस विधेयक के पारित होने में बाधा के रूप में प्रयुक्त किया जाय। मिताक्षर प्रणाली के अनुयाइयों ने तो यहां तक कहा है कि मिताक्षर कानून के अधीन संयुक्त हिन्दू परिवार में उत्तराधिकार होता ही नहीं अतः किसी समांशी की मृत्यु पर सम्पदा शुल्क लग ही नहीं सकता। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां होंगी।

जो लोग यह कहते हैं कि हमें मनु या याज्ञवल्क के कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उन से मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मनु और यज्ञवल्क के वास्तविक कानून को समझ नहीं पाए हैं। इन दोनों म कहीं मिता–

क्षर या दायभाग प्रणाली नहीं है । यह तो विज्ञानेश्वर जैसे टीकाकारों की टीका से उत्पन्न हुई हैं । यदि यह टीकाकार या प्रिवी कौंसिल या उच्च न्यायलय स्मृतिकारों की स्मृतियों की टीका भिन्न भिन्न रूप से कर सकते हैं तो यह सदन भी वैसा ही कर सकता है । मैं एक उदाहरण देता हूं । स्मृतिकारों ने लिखा है :

नैक पुत्रेण कर्त्तव्यं पुत्रदानं कदाचन।

अर्थात् जिस का एक हो पुत्र हो उसे अपना पुत्र किसी और को गोद लेने के लिए नहीं देना चाहिए। परन्तु प्रिवी कौंसिल ने उसका अर्थ यह निकाला कि यह तो सुझाव जैसा है आदेश समान नहीं। तो कानून में रूप भेद कर लिया गया । मनु ने स्वयं लिखा है कि यदि धर्म दुःख देने वाला हो तो उसे भी छोड़ दे । महाभारत में भी कहा गया है कि देश और काल के अनुसार धर्म, अर्धम और अधर्म, धर्म बन जाता है ।

इसीलिये मेरा निवेदन यह है कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं जिस की आज के समय में आवश्यकता है । यदि मनु के अनुयायी वास्तव में उस के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो क्या वे मनु के इस कथन का पालन करने को तैयार हैं कि जो अपना धन ठीक से व्यय न कर रहा हो उस का धन छीन कर ऐसे व्यक्ति को दिया जाय जो उस का सदुपयोग करे ?

इस विधेयक का उद्देश्य यही है । हम तो इस सम्बन्ध में मनु का ही अनुसरण कर रहे हैं । इसीलिए बाधा तो वे लोग डाल रहे हैं जो कहते हैं "मनु के कानून को न बदलो"।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह शुल्क ऐसे ढंग से लगाया जाय कि दायभाग और मिताक्षर प्रणालियों में कोई अन्तर न रहे । यदि दोनों प्रणालियों के अधीन आने वाले लोग ऐसा चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । विधेयक के प्रस्तुत खण्डों के अनुसार दोनों प्रणालियों के लिए लाभ तथा अलाभ दोनों ही हैं। मान लीजिए कि २ लाख १० हजार रुपये की सम्पत्ति ऐसे मिताक्षर परिवार के पास है जिस में पिता, पुत्र तथा पुत्री—तीन समांशी हैं । यदि पहले पुत्र की मृत्यु हो तो सम्पदा शुल्क लगेगा और फिर पिता की मृत्यु पर सम्पत्ति पुत्री के हाथ में आने पर फिर यह शुल्क लगेगा परन्तु ऐसे ही दायभाग परिवार में पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाने की दशा में सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा । इसी प्रकार का एक और उदाहरण लीजिये यदि एक परिवार में एक पिता तथा तीन पुत्र हों जिन की सम्पत्ति २,१०,००० रुपये की हो तो दायभाग के अधीन पिता की मृत्यु के बाद तीन पुत्रों में से प्रत्येक के हिस्से में ७०,००० की सम्पत्ति आयेगी। उस के बाद किसी पुत्र की मृत्यु हो तो सम्पदा शुल्क नहीं लगगा क्योंकि दायभाग के लिये विमुक्ति की सीमा ७५,००० रुपए की है परन्तु मिताक्षर परिवारों के लिए प्रत्येक पुत्र की मृत्यु पर कर लगेगा क्योंकि उन के लिए विमुक्ति की सीमा ५०,००० रुपये की है। ये सब कठिनाइयां दूर हो सकती हैं यदि हम सारे देश के लिए उत्तराधिकार सम्बधी एक ही कानून बना दें ।

अन्ततोगत्वा हमें ऐसी संहिता बनानी पड़ेगी । परन्तु इस में कुछ समय लगेगा

[श्री आल्तेकर]

इस समय हमें पंच-वर्षीय योजना को लागू करना है और हम अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसलिये मेरा विचार है कि हम पहले इस विधेयक को पास कर लें और उस के बाद सारे मतभेद तै करें। मेरा निवेदन है कि दायभाग तथा मिताक्षर उत्तराधिकार सम्बन्धी कठिनाइयां, इस देश के नागरिकों को पंच-वर्षीय योजना को लागू करने के लिए सहनी पड़ेंगी।

मेरा सुझाव यह है कि दायभाग तथा मिताक्षर उत्तराधिकारों का अन्तर दोनों प्रणालियों के अधीन सम्पत्तियों पर विभिन्न दरों पर शुल्क लेकर कम किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उत्तराधिकार निकट सम्बन्धियों तक ही सीमित रहे और सगोत्रों को यह अधिकार न हो। कानून के अधीन तो ऐसा करना सम्भव नहीं है। परन्तु इस सुझाव की मंशा, दूर के सम्बन्धियों द्वारा उत्तराधिकार में आने पर, अधिक शुल्क लगा कर पूरी की जा सकती है। मेरा निवेदन है कि निकट सम्बन्धियों पर कम दर से शुल्क लिया जाय। यह भी किया जा सकता है कि दूर के सम्बन्धी के उत्तराधिकारी बनने की दशा में शीघ्र उत्तराधिकारी सम्बन्धी रियायतें न दी जायं। जिन लोगों को उत्तराधिकारी बनने की आशा नहीं थी, उन के हिस्से में सम्पत्ति आने पर यदि उन से अधिक शुल्क लिया जाय तो कोई अन्याय नहीं होगा।

जहां तक सार्वजनिक संस्थाओं को दान आदि देने का सम्बन्ध ह, मुझे यह कहना है कि जब हम एक योजना को अपने समाज का आधार बना रहे हैं और देश का विकास एक योजना के आधार पर कर रहे हैं तो दान पर भी ऐसा नियंत्रण रखना पड़ेगा जिस से समाज की प्रगति उसी दिशा में हो जिस में कि हम चाहते हैं।

विधेयक के कई अन्य खण्डों की ओर निर्देश करते हुए कई अन्य बातें भी बताई गई। इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक सार्वजनिक धर्मार्थ का प्रश्न है, तो जब हमारा समाज किसी योजना पर आधारित है, और जब सारे देश को एक योजना पर ही आधारित कर रहे हैं, तब तो धर्मार्थ को इस रूप में नियमबद्ध करना पड़ेगा कि समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। और एसे दृष्टिकोण से धर्मार्थ या दान पर कई प्रतिबन्ध लगाने चाहिएं। यदि इस विकास योजना के अन्दर समाने वाले कई धर्मार्थ कार्यों की सूची बनाई जाय, तो इस प्रकार के धर्मार्थ कार्यों पर सब से कम प्रतिबन्ध होना चाहिये, और जो इस सीमा से बाहर हों उन्हें २५०० रु० या कई स्थितियों में १५०० रु० तक सीमित करना चाहिये। ऐसी स्थिति में भी मैं यही सुझाव दूंगा कि लगभग २५०० या १५०० रुपये की राशि सीमित करना इस समस्या का सही हल नहीं है। इसे तो जाने वाली सम्पदा के अनुपात में होना चाहिये। जिस व्यक्ति के पास कई लाख रुपयों की सम्पदा हो, उसके लिए २५०० रुपये तक की सीमा बहुत ही कम होगी। हम यों कह सकते हैं कि सार्वजनिक धर्मार्थ के लिए दी गई सम्पदा की लगभग ५ प्रतिशत सीमा रखी जानी चाहिए और अन्य लोगों को दी गई भेंटों की स्थिति में इसे ३ प्रतिशत तक रखना चाहिये, और २५०० रुपए या १५०० रुपए की सीमा नहीं रखनी चाहिए

धर्मार्थ के सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता था।

इन देयों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि कर का संग्रह इस प्रकार होना चाहिए कि संपदा प्राप्त करने वाले की इच्छा पर ही वह द्रव्य के रूप में दिया जा सके। इससे दो बातें सिद्ध होंगी। एक यह होगा कि कर की शीघ्र अदायगी में कठिनाई नहीं होगी और उस पदाधिकारी पर भी अच्छी तरह से नियंत्रण जो संपदा का मूल्य आंक रहा हो।

मूल्यांकन के सम्बन्ध में और भी कठिनाइयां हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। उदाहरण के रूप में बम्बई की परिसम्पद् को लीजिए। यदि बम्बई स्थित कृषि भूमि का उसके प्रकारविशेष के आधार पर मूल्यांकन किया जाय, तो वह एक तरह का मूल्यांकन होगा, और यदि उस परिसम्पद्ता संपदा के स्वामी के दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया जाय, तो वह दूसरे तरह का होगा। कृषि कानूनों के कारण भूस्वामी का हित किसी विशेष अंश तक सीमित है। बाजार में उसका अधिक मूल्य हो सकता है, किन्तु चूंकि उसका अपना हित कम होगा अतः यदि उसे बाजार के मूल्य पर ही आंका गया तो उतना भाव नहीं मिलेगा। इसी दृष्टिकोण से मैंने जो सुझाव दिया कि उसे द्रव्य में अदायगी करने का विकल्प होना चाहिये। इस तरह की प्रक्रिया समस्या को हल कर देगी।

इन जायदादों का मूल्यांकन करने में कई अन्य दोष भी हैं। अब मान लीजिये कि कोई धनी ५०,००० या ८०,००० रुपये का मकान बनाता है। और यदि इंजीनियरों से उसको अंकवाया गया तो उसका दाम शायद ७५,००० रुपये होगा किन्तु यदि इसे बेचा जाय तो उस जगह में उसका इतना भाव नहीं होगा। जायदादों का मूल्यांकन कराते समय इस प्रकार के अनुदेश देने पड़ेंगे ताकि संपदा के बेचने पर वही मूल्य मिले जो बाजार में उस के लिए मिल सकता हो। सही मूल्यांकन इसी प्रकार का होना चाहिये। हां मैं इस बात पर भी ज़ोर देना चाहता हूं कि निर्धार्य या करदाता को अपनी इच्छा के अनुसार द्रव्य के रूप में अदायगी करनी चाहिये।

इस के पश्चात्, एक माननीय सदस्य ने यह आलोचना की थी कि नियंत्रक **यम** के रूप में होगा। चुनाचि उस ने यह भी बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर नियंत्रक उन के परिवार में जाकर उस मृत व्यक्ति की जायदाद का मूल्यांकन करके एक तालिका बनायेगा, और वे व्यक्ति शोक में होंगे तो उस की यह हरकत **यम** की हरकत से कम नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के नियम बनाये जाने चाहियें और सावधानी बरती जानी चाहिए। मैं इन आलोचकों से यह बतलाना चाहता हूं कि सरकारी पदाधिकारी या नियंत्रक ही यम का काम नहीं करता, बल्कि उस मृत व्यक्ति के अपने निकट के सम्बन्धी एवं उत्तराधिकारी उस समय यमदूत बन जाते हैं जब एक ओर शव पड़ा होता है और दूसरी ओर वह जायदाद का बटवारा करते हैं तथा एक दूसरे के विरुद्ध अदालत में जा कर दावा करते हैं। क्या उन के उस दावा करने के समय अदालत का आयुक्त आकर वस्तु तालिका

[श्री आल्तेकर]

नहीं बना लेता। जब दामाद अथवा उत्तराधिकारी ही इस प्रकार की बात करते हैं, तो आप उस पर कोई भी शोर नहीं मचाते।

श्री गाडगिल : उन्हें कमाने का मौका मिलता है।

श्री आल्तेकर : किन्तु जब सरकारी ओर से आया हुआ नियंत्रक अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहा हो तो उसे यम कहा जाता है। देश भर के हित में यह कार्य होना चाहिये कि नियंत्रक अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सकें। हां एक और बात भी बतलाना चाहता हूं। कई मृत्यों को व्यावहारिक मृत्यु समझा जाता है। यदि कोई व्यक्ति संसार का त्याग करता है तो उस की संपदा तुरन्त उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाती है और संपदा शुल्क के नाम पर उसे छोड़ दिया जाता है। अब मान लीजिए कि वह संसार-त्याग के बीस-पचीस वर्ष बाद मर जाता है, तो उसके पास कोई भी जायदाद नहीं होगी, और कोई भी कर नहीं लगाया जा सकेगा। हमें ऐसी स्थिति पर भी विचार करना होगा।

पंडित एस० सी० मिश्र (मूंगेर उत्तर-पूर्व) : इस विधेयक का साधारण सिद्धान्त सभी दलों को स्वीकार्य है। किन्तु अब यह देखना है कि इस विधेयक को किस प्रकार काम में लाया जायेगा। मेरे विचार में सब से बड़ा विवादास्पद प्रश्न यह है कि सम्पत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार हो। मेरे विचार में वित्त मंत्री जी मुझ से इस बात में सहमत हैं कि प्रत्येक युग में किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार का कर लिया जाता था। किसी जमाने में एक यह कानून भी था कि जब कोई मनुष्य मर जाता, तो उसकी जायदाद के उत्तराधिकारी अपना नाम लिखाने से पहले कुछ पैसा जमा कराते थे। अतः यह चीज़ हमारे देश में पहले से मौजूद थी।

किन्तु अब यह प्रश्न होगा कि इस प्रकार के उत्तराधिकारी कितनी धनराशि दे देंगे? वित्त मंत्री जी हर कोई काम चोरी-छिपी करते हैं; उन्हें जनता के साथ इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार की लोकप्रियता अथवा अलोकप्रियता इसी धनराशि की दर पर निर्भर करती है। वित्त मंत्री जी को सदा पैसे की आवश्यकता रहती है, अतः उन्हें बहुत ही सावधानी से कर निर्धारण करना चाहिये। अन्य देशों में यह हुआ है कि बहुत ही कम दर से उन्होंने कर लेना प्रारम्भ किया और अब वे धीरे-धीरे अधिक कर लेते जा रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह लोभ न करें के करारोपण अथवा शुल्कारोपण की दर को न्यूनतम सीमा से प्रारम्भ करें और कालान्तर में उसे बढ़ा दें। यों तो कुल पर देखा जाये तो वास्तविक कठिनाई यहां पर है जब कि करदाता तथा करसंग्राहक के बीच संपत्ति-मूल्यांकन के विषय में मुठभेड़ होगी।

हां, इस अभिप्राय के लिए आप ने जिन व्यक्तियों को काम पर लगाया है, उनकी संख्या और उन द्वारा की जाने वाली व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। एक और बात भी है। जब भी कोई मामला अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है तो आप कहते हैं कि इस सम्पत्ति का मूल्य नियंत्रक की इच्छा के अनुसार होगा, तो यह न्याय नहीं होगा। मंत्री जी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। ये सभी कठिनाइयां दूर हो सकती ह किन्तु

मैं नहीं जानता कि क्या वित्त मंत्री जी मुझ से उस बात में सहमत होंगे। वह यह है कि आप उस निर्धार्य को इस बात की छूट दें कि वह अपनी जायदाद का कोई भी भाग उसी दर पर दे जो आप ने निर्धारित किया हो। उसके बाद आप और कोई भी रियायत नहीं दें। आप उसे अपील करने का अधिकार भी नहीं देते। कम से कम, इतना तो मान लीजिये। यदि आपका अभिप्राय ठीक हो तो आप को कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ५०,००० रुपये कर में देने हैं। उस के पास कोई भी नगदी नहीं, हां, जमीन है और मकान है। यही व्यक्ति अब कर के रूप में मकान देना चाहता है और भूमि रखना चाहता है, किन्तु आपके लगाये कानूनों के उपबन्धों के अनुसार यह बात नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि भूमि-कर के रूप में ये कर भी प्राप्त किय जायेंगे। इससे क्या होगा ? यदि वह कभी एक किस्त देने में भी आनाकानी कर गया, तो आप के लोग उस पर टूट पड़ेंगे। और उसकी सब से प्यारी वस्तु—भूमि—जिस से उसे आजीविका मिलती थी, उस से छीन के ले जायेंगे। अतः इस बात की कोई भी प्रत्याभूति नहीं कि उस के पास वही वस्तु रहेगी, जो उस के अधिक काम की होगी। अतः मैं आधुनिक चाणक्य माननीय वित्त मंत्री से यही प्रार्थना करूंगा कि वह लोगों को इस बात की छूट दें कि वे अपनी जायदाद के किसी भाग को ही कर या शुल्क के रूप में दें।

बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद मेरे क्षेत्र के किसानों को भू-कर के सम्बन्ध में इस प्रकार का अधिकार मिला। अब उनकी सारी खेतें कर-संग्रह के लिए बेची नहीं जायेंगी, बल्कि केवल वे भाग, जो अदालत के निर्णय के अनुसार उन का बाकी कर पूरा कर सकें। इस सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में भी मैं मंत्री जी से इसी प्रकार की प्रत्याभूति चाहता हूं। इस से लोगों की रक्षा हो सकेगी।

एक बात से मुझे आश्चर्य हुआ। यदि आप विधेयक का अध्ययन करेंगे तो आप को पता चलेगा कि इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है कि किस प्रकार की जायदाद करारोपण से मुक्त है। जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है, इतना तो बतलाया गया है कि ५०,००० रुपये पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल दरों में इस प्रकार की बात हो सकती है कि ५०,००० रुपये की जायेदाद पर कोई कर नहीं लगेगा। मेरे विचार में इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए। इस में कुछ संदेह है, क्योंकि यदि किसी परिवार में मिताक्षर अथवा दायभाग पद्धति चलती हों तो कर-निर्धारण भी भिन्न भिन्न ढंग से होगा। अतः उस सम्पत्ति का जिस पर कर-निर्धारण होगा, उचित स्थान पर उल्लेख होना चाहिये था, उसे अन्य बातों से नहीं मिलाना चाहिए था।

१२ मध्यान्ह

मुझे ५०,००० की सीमा से कोई भी शिकायत नहीं। हां, एक कठिनाई अवश्य है कि दिल्ली या बम्बई जैसी जगहों में ५०,००० रुपये के मूल्य का कोई निवास-स्थान हो, और किसी विधवा अथवा अवयस्क को उसे उत्तराधिकार में पाने म कठिनाइयां आती हों। इस उदाहरण को छोड़ कर, मैं तो यही समझता हूं कि यह सीमा उचित है।

मैं पुनः इस बात का अनुरोध करूंगा कि दरें बहुत कम हों। याद रहे कि इंग्लैंड ने १८९४ में केवल ३% से प्रारम्भ

[पंडित एस० सी० मिश्र]

किया था, और अब वह १५ % तक पहुंचे हैं। मैं न्यूनतमवादियों अथवा प्रारम्भवादियों में से नहीं हूं। यदि हमें मशीनों का आयात करना है तो हमें नवीनतम और बढ़िया मशीन का आयात करना चाहिए। किन्तु मैं यही कहूंगा कि लोगों को इस से अभ्यस्त करने के लिए बिल्कुल कम दर से करारोपण या शुल्कारोपण प्रारम्भ होना चाहिए।

श्री अच्युतन (क्रैंगान्नूर) : वह न्यूनतम सीमा कितनी है ?

पंडित एस० सी० मिश्र : मेरे विचार में १% होना चाहिए। बहुत से लोग जो राष्ट्र-निर्माण अभिप्राय के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, इस को एक भारी दर के रूप में नहीं समझा करेंगे।

श्री वेलायुधन : साधारणतया, विधेयक का सिद्धान्त स्वीकार करने के बाद अब हम उस चरण पर आ रहे हैं जहां से यह विधेयक संविधि-पुस्तक पर आ जायेगा। आज तक इस के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया, उस पर वित्त मंत्री जी स्वयं विचार करेंगे।

मैं उस स्थान का प्रतिनिधि हूं जहां संयुक्त परिवार प्रथा चालू नहीं है। हम ने अपने राज्य में सामाजिक तथा आर्थिक विधान प्रस्तुत किए थे जिस के परिणाम-स्वरूप आज संयुक्त परिवार प्रथा अथवा संयुक्त संपत्ति भूतकाल की बात बन गई है। अतएव, ठीक तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमारे राज्य ने इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई भी संकल्प पारित नहीं किया है। किन्तु मेरा यह विचार है कि पारित होने पर यह विधेयक भारत के सभी राज्यों के लिए एक विधान बन जायगा।

इस विधेयक में एक विशेष बात कृषियोग्य भूमि के सम्बन्ध में है, जिस पर मैं कुछ विचार प्रगट करना चाहता हूं। हम अब देश में कृषि सम्बन्धी विधान को चलाने जा रहे हैं, और पंच-वर्षीय योजना तथा आगरा में हुए कांग्रेस-अधिवेशन के संकल्पों के अनुसार सत्तारूढ़ दल देश में कृषि सम्बन्धी विधान के इस पहलू में तेज़ी करने जा रहे हैं। अतः मैं नहीं जानता कि किस प्रकार कई राज्यों को कृषियोग्य भूमि के सम्बन्ध में इस विधेयक से मुक्ति दिलाई जा सकती है। अनुसूची से हमें इस बात का पता चलता है कि बम्बई, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश—इन छः राज्यों ने कृषियोग्य भूमि के सम्बन्ध में संकल्प पारित किए हैं—यानी यह तय किया है कि कृषि योग्य भूमि पर शुल्क आरोपित किया जायेगा। अतः यदि आज यह विधेयक पारित किया गया तो इस से केवल ५-६ राज्यों पर ही प्रभाव पड़ेगा, अन्य राज्य बच निकलेंगे। मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो अन्य राज्य मुक्त हुए हैं उन पर भी यह दबाव डाला जाय ताकि यह विधान एक-रूप बन सके।

मेरे राज्य में एक विशेष स्थिति है कि केवल कई एक के पास भूमि है और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास २०,००० अथवा ४०,००० एकड़ तक भूमि है। यह आश्चर्य की बात है कि अच्छी आय के देते हुए तथा पूरी तरह से वहां खेती होते हुए भी इन भूमि सम्पत्तियों में इस तरह की स्थिति जारी है, हमारे राज्य में बहुत कम पड़ती भूमि है। सभी भूमि पर काश्त हो रही है। अतः समानता लाने के लिए जैसा कि इस विधेयक का लक्ष्य है, यह जरूरी होता है कि संपदा शुल्क

विधेयक उस कृषियोग्य भूमि पर भी लागू हो जो केवल कई एक के अधिकार में है।

यदि इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है, तथापि इस को पूरी तरह से लागू करने से गड़बड़ी होगी। मैं वित्त मंत्री को इस बात की चेतावनी देना आवश्यक नहीं समझता कि चूंकि लोग शुल्क नहीं दे सकेंगे अतः सरकार के पास बहुत सी इमारतें इकट्ठी होंगी। तो इसका यह परिणाम होगा कि सम्पत्ति लोगों के हाथ में न रह कर सरकार के हाथों चली आयेगी, और सरकार के समक्ष यह एक बड़ी समस्या होगी कि इतनी सारी जायदाद को बाद में किस तरह निपटाया जाये। यों कहा जा सकता है कि बाद में नीलाम होगा। और उस से उन ही को लाभ होगा जो धनी हों। अतः आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की असमानताओं को दूर करने के लिए यह कोई भी ठीक सुझाव नहीं कहा जा सकता। चुनाचि इस विधेयक में इंगलिस्तान के सम्पदा शुल्क अधिनियम तथा उत्तराधिकार अधिनियम की छाप है।

बहुत से व्यक्तियों ने इस विधेयक को असमानता दूर करने के लिए रामबाण बताया है। परन्तु सरकार का उद्देश्य इस विधेयक द्वारा प्रशासन कार्य के लिए रुपया इकट्ठा करना है। सरकार के सम्मुख बहुत सी योजनाएं हैं जैसे कि मुख्य रूप से पंच-वर्षीय योजना जिसके लिए धन की बड़ी आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कई बार घोषणा की है कि इस सम्पदा शुल्क विधेयक द्वारा जो भी धन एकत्रित होगा वह सभी योजनाओं पर व्यय किया जायगा। मुझे संदेह है कि जिस प्रकार ये योजनाएं कार्य कर रही हैं उस दशा में क्या ये समस्त जाति के लिए लाभदायक भी होंगी। भारतवर्ष आज आर्थिक संकट में होकर गुजर रहा है। बहुत से व्यक्तियों का विचार है कि इसका अंत क्रांति में होगा। सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि जनता इस प्रकार की सारी कठिनाइयों से बच सके। आज भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है जिसमें आधे से अधिक व्यक्तियों को या तो खाना कम मिलता है अथवा उनको आधा पेट भोजन मिलता है। इनकी समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्री को, जो कि पंच-वर्षीय योजना के मुख्य निर्माता हैं शीघ्रातिशीघ्र कोई प्रयत्न करना चाहिए। भला इससे क्या लाभ है कि सम्पदा शुल्क के द्वारा २० करोड़ या २२ करोड़ रुपया एकत्रित तो किया जाय किन्तु उसे हीराकुंड या अन्य बनने वाले बांधों में लगा दिया जाय। यदि इस धन को ग्रामीण कुटीर उद्योगों तथा ग्राम पुनर्निर्माण योजनाओं में लगाया जाय तो निर्धनता तथा भुखमरी की समस्या सुलझ सकती है।

मेरा अभिप्राय यह नहीं है, और न मैं यह विस्तृत रूप से बता रहा हूं कि सम्पदा शुल्क से एकत्रित होने वाले धन को किस प्रकार खर्च किया जाय। मेरा अभिप्राय तो यह है कि जब सरकार जनता से धन ले रही है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जनता को संशय में न रखे। वह जनता की भलाई के लिए कोई आर्थिक कार्यक्रम बनाये जिससे जनता पीड़ित न हो--जैसे कि आज करोड़ों पीड़ित हैं। यह विधेयक जनता की आर्थिक कार्यवाहियों को सरकार द्वारा निश्चित ढांचे में डाल रहा है। इसी कारण तो मैं कहता हूं कि जब यह विधेयक पारित हो जाये तो सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा आर्थिक ढांचा

[श्री वेलायुधन]

तैयार करे जिससे कि नये विचार, नई शक्ति, तथा नया जीवन संचार हो। जनता आज संशय में है और इस संशय के कारण ही पीड़ित है। जनता के सामने आज कोई रास्ता नहीं है, और आज वह इसी कारण निराश होकर क्रांति क्रांति चिल्ला रही है। इसी कारण मैं वित्त मंत्री से कहता हूं कि इस धन को वह जनता को दें, जहां से कि यह धन आया है, न कि इस धन को बड़ी बड़ी औद्योगिक योजनाओं में लगावें जोकि १० या १५ वर्षोपरांत तैयार होंगी।

श्री एस० वी० रामस्वामी : कुछ सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है तथा कहा है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है तथा यह हमारी स्थिति के अनूकूल नहीं है।

सभी को एक समान सुविधा देने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र को अधिक से अधिक धन मिले ताकि इस वृहद् राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके। इस बात को ध्यान में रखकर हम में से किसी को इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत कुछ कहा है कि जो व्यक्ति दायभाग प्रणाली को मानते हैं उनके साथ इससे अन्याय होगा। और यह तथ्य है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह विधेयक वास्तविक रूप में, जैसा कि प्रतीत है, अन्यायपूर्वक कार्य करेगा। किन्तु इसका तो कोई उपचार नहीं है। क्योंकि मिताक्षर तथा दायभाग दोनों प्रणालियां एकदम भिन्न हैं तथा इनकी उत्पत्ति भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुई है। और इन दोनों से लागू होने वाले नियम भी भिन्न भिन्न हैं। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि ये लगभग परस्पर विरुद्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दायभाग का निर्देशक सिद्धान्त धार्मिक प्रभाव का प्रश्न है। जबकि मिताक्षर पद्धति का निर्देशक सिद्धान्त कभी तो अपनापन तथा कभी कभी धार्मिक प्रभाव होता है। मिताक्षर के अनुसार संयुक्त परिवार में जैसा कि आप जानते हैं कि पुत्र सम्पत्ति का अधिकारी होता है जब कि दायभाग में ऐसी बात नहीं है। मिताक्षर में सम्पत्ति न्यसन के दो नियम हैं एक तो अनुगमन द्वारा तथा दूसरा उत्तरजीवित्व नियम द्वारा। दायभाग में उत्तरजीवित्व का कोई महत्व नहीं है। इसके अन्तर्गत पिता ही समस्त सम्पत्ति का अधिकारी है और वह अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छानुसार सम्पत्ति को बेच सकता है। मिताक्षर में ऐसी बात नहीं है, पिता तथा प्रबन्धक के साथ कई नियम तथा विचारधाराएं लागू रहती हैं और न वह दायभाग पद्धति के अनुसार पिता या प्रबन्धक को सम्पत्ति बेचने का अधिकार ही देता है। अतिरिक्त सम्पत्ति के बारे में दोनों पद्धतियां एक सी हैं।

यह भी दयनीय बात है कि सदन के समक्ष शुल्क का दर सम्बन्धी विधेयक अभी तक नहीं रखा गया है। यदि वह भी साथ ही साथ रखा गया होता सदस्यों के लिए यह बहुत ही सहायक होता। बहुत से सदस्यों के मस्तिष्क में इस बात का संशय है कि जहां सम्पत्ति का मूल्य न्यूनतम सीमा से कुछ अधिक है वहां क्या होगा? यदि शुल्क का दर सम्बन्धी विधेयक भी यहां प्रस्तुत होता तो सदस्यों को दर के सम्बन्ध में पता चल जाता

और उनको इतना संशय नहीं रहता। अतएव माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि इस विधेयक से पूर्व उस विधेयक को भी प्रस्तुत कर दें ताकि उनको इस बात का ज्ञान हो जाये कि उन्हें कितना शुल्क देना है।

हिन्दू विधान की दो पद्धतियों के विरुद्ध जिन अरीतियों का वर्णन माननीय सदस्यों ने यहां किया है, वे सभी मेरे ध्यान में हैं, वे इतनी अधिक नहीं हैं जितनी कि इस विधेयक के लागू हो जाने के उपरांत होंगी। आपके सम्मुख मैं चार बातें रखूंगा। पहिली बात कृषिकर भूमि के सम्बन्ध में है। मैं आपका ध्यान प्रवर समिति के प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या ३ खंड २० की ओर आकर्षित करता हूं। जिसमें कहा है कि उन सभी क्षेत्रों में जहां जहां यह विधेयक लागू होगा वहां शुल्क की दर निश्चित करते समय कृषियोग्य भूमि का ध्यान करना चाहिए। अन्यथा उन राज्यों में जिनका ज़िकर इस परिशिष्ट में नहीं है वहां पर दरअसल कोई दर लागू नहीं होगी। अतएव यह स्पष्ट है कि जिन राज्यों ने सम्पदा शुल्क को लागू करने के बारे में प्रस्ताव पास कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनमें मतभेद रहेगा। अतएव माननीय वित्त मंत्री को चाहिए कि वह इस बात को ध्यानपूर्वक देखें कि प्रत्येक राज्य जहां जहां कि यह विधेयक लागू होगा वह सभी प्रस्ताव पास कर दें कि वह सम्पदा शुल्क विधेयक लागू करने से सहमत हैं ताकि यह मतभेद दूर हो जाय।

दूसरी बात यह है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जिसके तीन लड़के हैं— उसे तो मिताक्षर पद्धति के अनुसार कुछ शुल्क नहीं देना होगा क्योंकि उसका भाग

५० हज़ार रुपया होता है; किन्तु दूसरी ओर उस व्यक्ति को जिसके तीन कन्याएं हैं उसे १२५ हज़ार पर शुल्क देना होगा। क्या यह असमन्यायी नहीं है। इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं। जैसे कि संयुक्त परिवार सम्पत्ति तथा स्वकष्टार्जित सम्पत्ति। स्वकष्टार्जित सम्पत्ति—यदि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए २ लाख रुपये की है तो यह विधेयक के अन्तर्गत आ जाती है जब कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति जो भी इतने ही धन की है इस विधेयक के नियमों से मुक्त रहेगी। अतएव इसका परिणाम यह होगा कि स्वकष्टार्जित सम्पत्ति को भी जनता संयुक्त परिवार सम्पत्ति घोषित करने लगेगी। और ऐसा घोषित करने में नियम के अनुसार कोई कठिनाई नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में प्रशासन सम्बन्धी भी एक कठिनाई उठेगी। यदि एक व्यक्ति अपनी स्वकष्टार्जित सम्पत्ति को संयुक्त परिवारीय सम्पत्ति घोषित करता है तो इसका निर्णय किस प्रकार होगा? इस प्रकार की और भी कठिनाई होगी अतएव वित्त मंत्री को विधान विभाग के परामर्श के आधार पर इन कठिनाइयों को कम से कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस विधेयक के अनुसार अवयस्क की रक्षा के लिए कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। वह अवयस्क होने के कारण सम्पत्ति का स्वामी नहीं हो सकता। अतएव उसकी सम्पत्ति पर कर लगेगा। ऐसी बातों के आधार पर अतएव कहा जा सकता है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १५ के उपबन्धों के विरुद्ध है तथा अवस्था, लिंग, जन्मस्थान, आदि आदि के आधार पर मतभेद उत्पन्न करता चलता है। अतएव वित्त मंत्री को चाहिए कि वह

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

अनुच्छेद १५ से होने वाले मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करें।

अब मैं धारा ४ को लेता हूं जिसका सम्बन्ध धाराएं ६१ और ६२ से है। यह विवादनीय प्रश्न है कि अपील बोर्ड में की जाय अथवा अपील न्यायाधिकरण में। मेरे विचार से अपील बोर्ड में न करके सम्पदा शुल्क अपील न्यायाधिकरण में जिसका कि निर्माण किया जाय, में हो। मैं तो न्यायपालिका को ही चाहता हूं क्योंकि इसमें पक्षपात नहीं होता अपितु मामले के महत्व के अनुसार ही कार्य होता है। संशोधन रखते समय मुझे आशा है कि सम्पदा शुल्क अपील न्यायाधिकरण की स्थापना करने के सम्बन्ध में सदन संशोधन स्वीकार कर लेगा तथा खंड ४, ६१, ६२ में भी उचित संशोधन करने का प्रयत्न किया जायगा।

खंड ९ के विषय में जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ६ महीनों में कर से बचने के विचार से धार्मिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक संस्थाओं को कोई दान आदि नहीं दिया जाय। सार्वजनिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दी जाने वाली धन राशि के विषय में कोई सीमा आदि नहीं निश्चित करनी चाहिए। भारतवर्ष दान करने के लिए प्रसिद्ध है।

कुछ बातों में शुल्क दाताओं के लिए यह विधेयक इसी विषय के ब्रिटिश अधिनियम से, जिस पर यह आधारित है, कहीं अधिक कठोर है। खण्ड ९ में आने वाले "अथवा अधिक" शब्दों के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। इनके फलस्वरूप सम्पूर्ण भूतकाल प्रश्न में आ जाता है। दो वर्षों के पूर्व किया गया कोई भी दान, चाहे वह दस, पन्द्रह या बीस वर्ष पूर्व क्यों न किया गया हो, प्रश्न में आ जायेगा। यह एक अत्यन्त कठोर बात है अतः मेरा निवेदन है कि ये दो शब्द उस खण्ड में से निकाल दिए जायें।

खण्ड ३० अर्थात द्रुत उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि एक ऐसे मामले में कोई भी शुल्क देय नहीं होना चाहिए जहां पर प्रथम मृत्यु के पांच वर्ष के अन्दर ही दूसरी मृत्यु हो जाती है।

खण्ड ३१ जिसका सम्बन्ध विधवाओं से है और उदार बनाया जा सकता था। इस खण्ड के अनुसार अपने पति की मृत्यु के सात वर्ष के अन्दर मरने वाली हिन्दू विधवा का हित सम्पदा शुल्क से विमुक्त रहेगा। मेरे विचार से यह सात साल की सीमा निश्चित करना बेचारी विधवा के लिए अन्यायपूर्ण होगा। इसको बिलकुल हटा देना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु पर शुल्क देय नहीं हो यदि वह शुल्क उसके पति की मृत्यु पर ले लिया गया हो।

जहां तक विमुक्तियों का सम्बन्ध है, यह अत्यन्त क्रूर प्रतीत होता है कि चाहे केवल एक ही रहने का मकान क्यों न हो, पर शुल्क देने के हेतु वह भी बेचा जा सकता है। ऐसी क्रूर व्यवस्था से लोग बड़े कष्ट में पड़ जायेंगे। अतः मेरा निवेदन यह है कि सदन इस सम्बन्ध में मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले। मेरा संशोधन यह है कि जहां पर एक से अधिक मकान हों, एक रहने का मकान विमुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि केवल एक ही रहने का मकान हो, तो वह पूर्ण रूप से विमुक्त किया जा सकता

है, उसका मूल्य चाहे कुछ भी हो। मेरे विचार से राजस्व कर को इतना कठोर नहीं होना चाहिए।

समिष्टिकरण के प्रश्न पर भी मैं प्रवर समिति के नए सुझाव से असहमत हूं। शुल्क की दर के प्रयोजन के हेतु किसी विमुक्त सम्पत्ति को फिर से सम्मिलित करना अनुचित प्रतीत होता है। यह खण्ड बिलकुल निकाल देना चाहिए।

शुल्क की दरों (खण्ड ३४) के सम्बन्ध में मैंने सदैव यह कहा है कि यह अच्छा होता यदि शुल्क की दरें प्रकाशित कर दी गई होतीं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है। संयुक्त परिवार सम्पत्ति में किसी हित के सम्बन्ध में ५०,००० रुपए और अन्य मामलों में ७५,००० रुपए की विमुक्ति सर्वथा अपर्य्याप्त है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इन संख्याओं को बढ़ाकर क्रमशः एक लाख रुपया और १,५०,००० रुपये कर देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बहुत कष्ट में पड़ जायेंगे।

जैसा कि अन्य देशों में हुआ है, प्रारम्भ में इसको एक हल्के तौर पर लागू करना चाहिए। यह बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। लोगों को परिस्थिति के अनुकूल बनने का अवसर दीजिये। धीरे धीरे लोग इसके भी आदी हो जायेंगे तब आय विमुक्ति की सीमा को घटा सकते हैं और ुल्क की दरों को बढ़ा सकते हैं। प्रारम्भ से ही करदाताओं पर बहुत भार डालना उचित नहीं है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस विधेयक को स्वेच्छा से स्वीकार करेगी क्योंकि इससे लोगों के जीवन के आर्थिक स्तर ऊंचे उठेंगे।

डाक्टर रामा राव (काकिनाडा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके जो उद्देश्य तथा कारण हैं वे अत्यंत सराहनीय हैं। एक उद्देश्य धन के वितरण में जो असमानता है उसको यथासंभव दूर करना है। पंचवर्षीय योजना का भी यही उद्देश्य कहा जाता है। पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस सम्बन्ध में बहुत उत्साह नहीं ले रही है। अनुमान किया जाता है कि इससे लगभग दस या ग्यारह करोड़ रुपये की आय प्राप्त होगी और वह राशि सभी राज्यों में वितरित कर दी जायेगी। और अंशतः इसी आय में से पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित की जाती ह। अतः यह एक अजीब ऊटपटांग सी बात लगती है कि इस विधेयक के द्वारा सम्पत्ति का असमान वितरण ठीक किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि सरकार सम्पत्ति के न्यायोचित वितरण के सिद्धान्त के विषय में बहुत उत्साही नहीं है। वह राज्यों से ऐसे विधान बनाने को कह सकती है जिसके द्वारा भूमि का पुनः वितरण हो सके और अधिकतम अधि-सम्पत्ति निश्चित की जा सके। पर ऐसा कोई भी कार्य हमारे मंत्रियों ने नहीं किया है। इस दिशा में आचार्य विनोबा भावे के "भूदान यज्ञ" आन्दोलन को भी हमारे प्रधान मंत्री कोई ठोस कार्य नहीं समझते हैं।

खण्ड ९ के सम्बन्ध में हमें पांच वर्ष की सीमा स्वीकार कर लेनी चाहिये क्योंकि धनी लोग अत्यन्त चालाक होते हैं और वे करों से बचने के अनेक तरीके

[डाक्टर रामा राव]

ढूंढ निकालते हैं । यदि पांच वर्ष की सीमा स्वीकार कर ली जाती है तो उनकी ऐसी चालाकियां बेकार हो जायेंगी ।

खण्ड ३४, जिसमें सम्पत्ति पर विमुक्ति सीमा की चर्चा की गई है, के सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मित्र श्री पांडे से सहमत हूं । मैं समझता हूं कि इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार मिताक्षर, मारूमक्कत्यम तथा अन्य उल्लिखित नियमों को छोड़कर अन्य नियमों से शासित होने वाले कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है । एक मिताक्षर संयुक्त परिवार में पिता की मृत्यु पर उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर कर नहीं लग सकता, जब कि एक दायभाग परिवार अथवा ईसाई परिवार के सम्बन्ध में ऐसा हो सकता है । अतः हमको यह अवश्य देख लेना चाहिये कि विधान सब प्रकार के लोगों पर न्यायोचित रूप से लागू हो । स्वकष्टार्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने ७५,००० रुपये की विमुक्ति सीमा के कारण बताए हैं, वे सर्वथा असंतोषजनक हैं । मेरा सुझाव तो यह है कि दोनों प्रकार की सम्पत्तियों स्वकष्टार्जित और उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त सम्पत्ति, के सम्बन्ध में विमुक्ति सीमा ५०,००० रुपये की होनी चाहिये । स्वकष्टार्जित सम्पत्ति के सम्बन्न में विमुक्ति सीमा अधिक नहीं होनी चाहिये । दायभाग और सीरियन ईसाई परिवारों की रक्षा की व्यवस्था की जानी आवश्यक है ।

पूर्त के सम्बन्ध में मैं उन लोगों से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि यह विधेयक सभी दानों पर लागू होना चाहिये । कुछ ऐसे भी दान हैं जो बेकार पड़े हुए या जिनका प्रबन्ध बुरा है या जिनसे समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता । इनके सम्बन्ध में विधान को उपयुक्त उपायों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह देश के विकास के लिये राज्यों को कुछ आर्थिक राजस्व प्रदान करने जा रहा है ।

विधेयक के खण्ड ५ में कहा गया है कि यह शुल्क सम्पत्ति पर लगाया जा सकता है । एक मिताक्षर परिवार में किसी भी सदस्य को सम्पत्ति को बेचने आदि की शक्ति नहीं प्राप्त होती । अतः उसके एक सदस्य की मृत्यु पर उस सम्पत्ति पर यह सम्पदा शुल्क नहीं लगाया जा सकता । इसके विपरीत दायभाग में पिता को सम्पत्ति को बेचने आदि का अधिकार प्राप्त होता है और इसीलिये उसकी मृत्यु पर उस सम्पत्ति पर शुल्क लगाया जा सकता है ।

जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है संविधान में परिवर्तन किये बिना विधि में हेरफेर संभव नहीं है ।

मेरा निवेदन है कि इसमें विषमता नहीं है और जो मेरे मित्र विषमता की बात करते हैं उन्होंने इस विषय पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है ।

मकान तथा अन्य वस्तुओं पर कर-मुक्ति के विषय में प्रश्न उठाया गया है । इन विषयों में मतभेद हो सकता है । यदि पच्चीस हजार रु० के मूल्य की वस्तु में कर की छूट दी जाती है तो यह कोई बड़ी हानि नहीं है किन्तु ७०,००० रु० की सम्पदा में से २५,०००

के मकान का करमक्त होना अनिवार्य है।

विधेयक का एक विन्दु दान से सम्बन्धित है। यह इस तथ्य का स्पष्ट संकेत देता है कि वित्त मंत्री को संदेह है कि अनेक मनुष्य शुल्क के भुगतान में टालमटूल करने का प्रयत्न करेंगे। कदाचित आयकर अधिनियम से उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया है। किन्तु दोनों की आधारभूमि में अन्तर है। आयकर अधिनियम के अ तर्गत आयकर के भुगतान से बचने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को हानि नहीं उठानी पड़ती है किन्तु सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को परावर्तित कर देता है तो उसे यह भ्रम रहता है कि कहीं वह सदा के लिए अपनी सम्पत्ति न खो बैठे। मुझे विश्वास है कि कोई व्यक्ति इस भय को आमंत्रित करने की मूर्खता नहीं करेगा।

तीसरा प्रश्न कृषि सम्बन्धी भूमि के विषय में है। परन्तु मैं इस दिशा में स्पष्ट नहीं हूं कि क्या उस सम्पदा पर यह शुल्क लागू किया जायगा जबकि जमींदार और अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के अधिकार समाप्त किये जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री विधेयक की मंशा के विषय में सही स्थिति प्रकट करेंगे और बतलायेंगे कि क्या भूमिदारों और आसामियों को भी सम्पदा शुल्क देना पड़ेगा। भूमि का मूल्य बढ़ गया है और पचास एकड़ भूमि का स्वामी भी प्रस्तुत विधेयक के अन्तर्गत आ सकता है। मेरा विचार है कि इन व्यक्तियों को शुल्क से मुक्त करना उचित है।

दूसरा विषय पुनरावेदन के अधिकार से सम्बन्धित है। यह नवीन व्यवस्था है और नियंत्रक तथा मूल्य आंकने वाले व्यक्ति को सम्पत्ति का उचित मूल्यांकन करने में कठिनाई हो सकती है और उचित कदम यही हो सकता है कि किसी न्यायिक अधिकरण अथवा डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष पुनरावेदन का अधिकार दिया जाय। यह निश्चित है कि मूल्य आंकने वाले व्यक्तियों को कमीशन दिया जायगा अतः संभव है कि वह वृद्धिगत मूल्य आंकने की ओर लालायित हों। सब से उचित मार्ग यही है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरावेदन की अनुमति दी जाय।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह ४८वें खण्ड से सम्बन्धित है। इस खण्ड में इस प्रकार उपबन्ध होना चाहिये कि अधिप्रमाण, प्रशासनपत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रार्थनापत्र के अभ्यावेदन पर मिल जाने चाहिये। उक्त आशय के प्रार्थनापत्र पर किसी भी तरह का न्यायालय शुल्क नहीं लगना चाहिये। जो व्यक्ति सम्पदा शुल्क के परिगणन में है उस पर न्यायालय शुल्क नहीं लगना चाहिये। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह शुल्क ब्रिटेन में भी नहीं लगता है। मेरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री भी इस तरह की व्यवस्था निर्माण करेंगे।

श्री सी० आर० इय्युनी : मैं विधेयक के मुख्य मामलों से सहमत हूं। कुछ विषयों पर मैं वित्त मंत्री से सहमत नहीं हो सकता। यह सही है कि उक्त विधेयक इंगलैंड में प्रचलित कानून के आधार पर ही निर्मित किया गया है। सम्पदा शुल्क प्रायः संसार के प्रत्येक सभ्य देश में प्रचलित है। किन्तु भारत और यूरोपीय देशों तथा अमरीका में एक

[श्री सी० आर० इय्युनी]

अन्तर है । हमारे देश में दायभाग की विभिन्न प्रणालियां हैं किन्तु अन्य देशों में भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं । हिन्दुओं में भी दो प्रणालियां हैं : एक है मिताक्षर और दूसरी है दायभाग । दायभाग प्रणाली के अनुसार पिता सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी समझा जाता है किन्तु मिताक्षर पद्धति के अनुसार कुटुम्ब का प्रत्येक पुरुष-सदस्य परिवार की सम्पत्ति का आंशिक अधिकारी है ।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य इस विषय में अधिक कहना चाहते हैं । वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इस के बाद सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक ११ अगस्त १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—320 LSD—2 2-54—285